




Benefits of taking Udyam Registration

Link: - <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm>


**Office of Development Commissioner (MSME)
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises**

Date: Feb, 2021



Index

S. No.	Languages	Page No.
1	Assamese	1-3
2	Bengali	4-5
3	Bodo	6-8
4	Dogri	9-11
5	English	12-13
6	Gujarati	14-16
7	Hindi	17-19
8	Kannada	20-23
9	Kashmiri	24-26
10	Konkani	27-29
11	Malayalam	30-33
12	Manipuri	34-36
13	Marathi	37-39
14	Maithili	40-41
15	Nepali	42-44
16	Odia	45-47
17	Punjabi	48-50
18	Sanskrit	51-53
19	Santhali	54-56
20	Sindhi	57-59
21	Tamil	60-63
22	Telugu	64-66
23	Urdu	67-68




উদ্যম পঞ্জীয়নৰ লাভসমূহ

ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ষুদ্র, লঘু আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ে গেজেট অব ইণ্ডিয়া, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী, পাৰ্ট-২, চেঞ্চন-৩, চাব-চেঞ্চন (ii) তাং ২৬ জুন, ২০২০ যোগে জাননী জাৰী কৰে যে বিনিয়োগ আৰু আয় দুয়োটাকে যৌথভাৱে গণ্য কৰি উদ্যোগসমূহক ক্ষুদ্র, লঘু আৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিবলৈ ১ জুলাই, ২০২০ তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰণী হোৱাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

এই নতুন শ্ৰেণীবিভাজনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এম এছ এম ই সমূহে ব্যৱসায় কৰাৰ সুবিধার্থে এম এছ এম ই সমূহক স্থায়ীভাৱে পঞ্জীয়ন অৰ্থাৎ “উদ্যম পঞ্জীয়ন” কৰাৰ সুবিধা দিছে।

লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

- যিকোনো ব্যক্তিয়েই উদ্যোগৰ বাবে ‘উদ্যম পঞ্জীয়ন’ কৰিব পাৰে। নিম্নোক্ত প’ৰ্টেলসমূহৰ যোগে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে ঃ <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm>.
- উদ্যম পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেল আৰু কাগজবিহীন। ইয়াত কোনো নথি-পত্ৰ আপল’ড কৰিব নালাগে।
- পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া। কাকো কোনো মূল্য বা মাচুল দিব নালাগে।
- “উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট” নামৰ এখন ই-প্ৰমাণপত্ৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত অনলাইন যোগে প্ৰেৰণ কৰা হয়।
- এই প্ৰমাণপত্ৰত এটা দুট কিউ আৰু কোড থাকে, যিটোৰ যোগেদি আমাৰ প’ৰ্টেলত ৰেব পেজবোৰ খোল খাব আৰু উদ্যোগটোৰ বিৱৰণ লাভ কৰিব পাৰিব।
- কোনোবাই ইচ্ছাকৃতভাৱে ভুল প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বা স্ব-ঘোষিত তথ্য আৰু সংখ্যাবোৰ লুকুৱাই ৰাখি উদ্যম পঞ্জীয়ন কৰে বা নৱীকৰণৰ সময়ত ভুল তথ্য দিয়ে তেনে ব্যক্তিক আইনখনৰ ২৭ নং ধাৰা মতে জৰিমনা বিহা হ’ব।
- এই অনলাইন ব্যৱস্থাটো আয়কৰ বিভাগ আৰু সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ চিনাক্তকৰণ সংখ্যা (GSTIN) ব্যৱস্থাৰ লগত সংলগ্ন কৰি ৰখা হয়। উদ্যোগটোৰ বিনিয়োগ আৰু আয়ৰ বিস্তৃত তথ্য স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চৰকাৰী ডাটাবেছৰ পৰা লোৱা হয়, ৰপ্তানীক টাৰ্ণ অভাৰৰ ভিতৰত ধৰা নহয়।
- যিসকলৰ ই এম-২ বা ইউ এ এম পঞ্জীয়ন আছে নাইবা এম এছ এম ই মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ আন যিকোনো কত্ৰুপক্ষৰ পঞ্জীয়ন আছে তেওঁলোকেও ৩১-০৩-২০২১ ৰ আগতে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব।
- কোনো উদ্যোগে একাধিক উদ্যম পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰিব। যদিও যিকোনো সংখ্যক কৰ্মৰাজী যেনে উৎপাদন বা সেৱা বা দুয়োটাই বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব বা এটা পঞ্জীয়নতে সংযোগ কৰিব পাৰিব।



পঞ্জীয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ঃ


- পঞ্জীয়নৰ বাবে কেৱল আধাৰ নম্বৰটোৱেই যথেষ্ট।
- ০১-০৪-২০২১ ৰ পৰা পেন নম্বৰ আৰু জি এছ টি নম্বৰ থকাটো বাধ্যতামূলক হ' ব।

এই পঞ্জীয়নৰ লাভ সমূহ ঃ

- এটা উদ্যোগৰ বাবে ই এটা স্থায়ী পঞ্জীয়ন আৰু প্ৰাথমিক চিনাক্তকৰণ নম্বৰ।
- এম এছ এম ই পঞ্জীয়ন কাগজবিহীন আৰু স্ব-ঘোষণাৰ ভিত্তিত হয়।
- পঞ্জীয়ন নবীকৰণৰ প্ৰয়োজন নহয়।
- যিকোনো ধৰণৰ কৰ্মৰাজী যেনে উৎপাদন বা সেৱা বা দুয়োটাই বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰি একেটা পঞ্জীয়নতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি।
- উদ্যম পঞ্জীয়নৰ লগতে উদ্যোগসমূহে GeM (গভৰ্ণমেণ্ট ই-মাৰ্কেট প্লেছ, জিৰ পৰা বি লৈ এটা প' টেল) আৰু সমাধান (SAMADHAAN) প' টেল এটা প' টেল য' ত ধন জমা দিয়াত দেৱী হোৱা বিষয়টো জনাব পাৰি) আৰু লগতে এম এছ এম ইবিলাকে TReDS প্লেটফৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত হ' ব লাগে (এই প্লেটফৰ্মত গ্ৰহণ কৰা বাণিজ্যিক সামগ্ৰীৰ ইনভইচসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয়) তিনিটা প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি যেনে (১) www.invoicemart.com (২) www.mlxchange.com, (৩) www.rxil.in
- উদ্যম পঞ্জীয়নে লগতে এম এছ এম ই সকলক সহায় কৰে- এম এছ এম ই মন্ত্ৰ্যালয়ৰ আঁচনিসমূহৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে। আঁচনিসমূহ যেনে - ঋণ নিশ্চিতকৰণ আঁচনি, লোক-ক্ৰয় আঁচনি, চৰকাৰী বাণিজ্যিক অতিৰিক্ত অংশ আৰু ধন আদায় দেৱী হোৱাৰ পৰা নিৰাপত্তা ইত্যাদি।
- বেংকৰ ঋণ লাভ কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে।

ঋণ দানৰ অগ্ৰাধিকাৰ ক্ষেত্ৰ ঃ


ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে বেংকসমূহক ঋণ দানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ (পি এছ এল)ৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰ বি আয়ে ঋণ দানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ ইয়াৰ ০৪.০৯.০১ !!২০২০০-২১ দিনাংক ৪ ছেপ্তেম্বৰ, ২০২০ আৰ বি আই ! এফ আই ডি ডি! ২০২০-২১ ! !৭২ পৰিপত্ৰ মৰ্মে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাই মূল নিৰ্দেশ। সেই অনুসৰি ঋণ দানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ শ্ৰেণীসমূহ হ' ল (i) কৃষি (ii) সূক্ষ্ম, লঘু আৰু মধ্যম উদ্যম (iii) এক্সপোর্ট ক্ৰেডিট (iv) শিক্ষা (v) বাসগৃহ (vi) সামাজিক আন্তঃগাঁঠনি (vii) পুনৰ নিৰ্মিত শক্তি (viii) অন্য। এতেকে, এম এছ এম ই থও ঋণ দানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ অন্তৰ্গত। আৰ বি আই মতে ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজপত্ৰ এছ অ' ২১১৯ (ই) দিনাংক ঃ ২৬ জুন ২০১০ মৰ্মে এম এছ এম ইসমূহৰ সংগ্ৰহ আৰ বি আই !২০২০২০২১১০ এফ এফ আই ডি ডি. এম এছ এম ই আৰু এন এফ এছ. বি ছি নং ৩৫০৬.০২.৩১৫২০২০-২১ ক ক এফ আই ডি ডি. এম এছ এম ই আৰু এন এফ এছ. বি ছি নং ৪৫০৬.০২.৩১৫২০২০-২১ কদিনাংক ২ জুলাই ২০২০ , ২১ আগষ্ট, ২০২০ হিচাপে পঢ়ি ক্ৰমশঃ মাইক্ৰো ক্ৰেডিট প্ৰৱাহ, লঘু আৰু মধ্যম উদ্যম থও আৰু সময়ে-সময়ে উন্নিত কৰা হ' ব। ইয়াপ উপৰিও এনে এম এছ এম ই যিকোনো প্ৰকাৰে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ বা উৎপাদনত সংলগ্ন



হোৱা উচিত, যি যদি প্ৰথম সূচী উদ্যোগসমূহ (বিকাশ আৰু বিনিয়ম) আইন, ১৯৫১ ৰ অন্তৰ্গত কোনো প্ৰকাৰে যিকোনো উদ্যোগ বিশেষ বা কোনো সেৱা বা সেৱাসমূহ প্ৰদান কৰাত জৰিত।

এম এছ এম ইক ঋণদানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ড মৰ্মে ঋণ প্ৰদান কৰা সকলো বেংক ঋণ আৰ বি আইৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰ্গীকৰণৰ বাবে যোগ্য।

-----000-----



উদ্যম রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের সুবিধা

ভারত সরকারের গেজেট, অসাধারণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ধারা -3, উপ-ধারা (ii) এর মাধ্যমে 26 জুন, 2020 তারিখে ভারত সরকারের সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক, জারি করা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ এবং টার্নওভার উভয় সমন্বয়ে একটি সংযুক্ত মানদণ্ডকে 2020 সালের জুলাই, 1 লা থেকে সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে কার্যকরভাবে শ্রেণিবদ্ধকরণের মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।


এমএসএমইগুলির নতুন সংজ্ঞা মেনে চলার এবং ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই ব্যবস্থাটি এমএসএমইদের স্থায়ীভাবে নিবন্ধকরণের অর্থাৎ 'উদ্যম রেজিস্ট্রেশন'–এর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- যে কেউ উদ্যোগের জন্য উদ্যম নিবন্ধন পেতে পারেন। এটি পোর্টাল অর্থাৎ <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm> এর মাধ্যমে নিবন্ধভুক্ত হতে পারে
- উদ্যম নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড এবং পেপারলেস। কোনও ডকুমেন্ট আপলোড করার দরকার নেই।
- নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। কোনও খরচ বা ফি কাউকে দিতে হবে না।
- একটি ই-শংসাপত্র, নাম, "উদ্যম নিবন্ধকরণ শংসাপত্র" নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে অনলাইনে জারি করা হবে।
- এই শংসাপত্রটির একটি গতিশীল QR কোড রয়েছে যা থেকে আমাদের পোর্টালে ওয়েবপেজ এবং উদ্যম সম্পর্কিত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে।
- কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্যম রেজিস্ট্রেশন বা আপডেট প্রক্রিয়াতে প্রদত্ত স্ব-ঘোষিত তথ্য এবং পরিসংখ্যানকে ভুলভাবে দিয়ে থাকেন বা গোপন করার চেষ্টা করেন, সে আইনের ধারা 27 এর অধীন বর্ণিত দণ্ডের জন্য দায়ী হবে।
- এই অনলাইন সিস্টেমটি আয়কর এবং পণ্য ও পরিষেবা কর শনাক্তকরণ নম্বর (GSTIN) সিস্টেমের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংহত হয়েছে, বিনিয়োগের বিবরণ এবং ব্যবসায়ের টার্নওভার সংক্রান্ত বিবরণ সরকারী ডেটাবেস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া হবে। রফতানির টার্নওভার ব্যবসায়ের টার্নওভার গণনার অংশ হিসাবে বিচার্য হয় না।
- যাদের ইএম -২ বা উদ্যোগ আধার নিবন্ধন বা এমএসএমই মন্ত্রকের অধীনে কোনও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা অন্য কোন রেজিস্ট্রেশন রয়েছে, তাদের 31.12.2021 এর আগে পুনরায় নিবন্ধন করতে হবে।
- কোন উদ্যোগ একাধিক উদ্যম রেজিস্ট্রেশন ফাইল করতে পারবে না। যদিও, উত্পাদন বা পরিষেবা বা উভয় সংক্রান্ত যে কোনও ক্রিয়াকলাপ একটি নিবন্ধে যুক্ত করা যেতে পারে।

নিবন্ধকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত:

- নিবন্ধকরণের জন্য কেবলমাত্র আধার নম্বরই যথেষ্ট।
- PAN এবং GST No. থাকা 01.04.201 থেকে বাধ্যতামূলক।



এই নিবন্ধের সুবিধা:


- এটি কোনও এন্টারপ্রাইজের স্থায়ী নিবন্ধকরণ এবং বুনিয়ে পরিচয় নম্বর হবে।
- এমএসএমই নিবন্ধকরণ কাগজবিহীন এবং স্ব-ঘোষণার ভিত্তিতে।
- নিবন্ধকরণ নবীকরণের প্রয়োজন হবে না।
- উত্পাদন বা পরিষেবা বা উভয় সহ যে কোনও ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এবং একটি নিবন্ধে যুক্ত করা যেতে পারে।
- উদ্যম নিবন্ধনের সাথে সাথে এন্টারপ্রাইজগুলি GeM-এ (সরকারী ই-মার্কেট প্লেস, G to B এর জন্য একটি পোর্টাল) এবং সমাধান (SAMADHAN) পোর্টালে (অর্থ আদায়ে বিলম্ব সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য একটি পোর্টাল)। এর সাথেই এমএসএমইরা নিজেরাই তিনটি উপলভ্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে TReD প্ল্যাটফর্মের (এই প্ল্যাটফর্মে আদায়যোগ্যদের চালানগুলি লেনদেন করা হয়) যুক্ত হতে পারে। প্ল্যাটফর্মগুলি হল: 1. www.invoicemart.com 2. www.mlxchange.com 3. www.rxil.in ।
- উদ্যম নিবন্ধনের দ্বারা এমএসএমইগুলি এমএসএম ই মন্ত্রকের স্কিম যেমন ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি, সরকারী দরপত্রের অতিরিক্ত ধারার সুবিধা পেতে পারে।
- ব্যাংকগুলি থেকে অগ্রাধিকার খাতে ঋণ পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে।

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের ঋণ

অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের ঋণ দেওয়ার (PSL) নির্দেশিকা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া জারি করে। RBI তার অগ্রাধিকার খাতে ঋণ সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করেছে 04 সেপ্টেম্বর, 2020 তারিখে, যার বিজ্ঞপ্তি নং RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21। তদনুসারে, অগ্রাধিকার খাতে বিভাগগুলি হল (i) কৃষি (ii) মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ (iii) রফতানি ঋণ (iv) শিক্ষা (v) আবাসন (vi) সামাজিক অবকাঠামো (vii) নবায়নযোগ্য শক্তি (viii) অন্যান্য। তাই এমএসএমই সেক্টরটি অগ্রাধিকার খাতে ঋণের আওতায় পড়ে। RBI অনুসারে, এমএসএমইগুলির সংজ্ঞা হবে ভারত সরকারের জুন 26, 2020 তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন S.O. 2119 (E) dated June 26, 2020 অনুযায়ী। তার সাথে যথাক্রমে RBI এর 'সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ঋণ প্রবাহ' সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি RBI/2020-2021/10 FIDD. MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 এবং জুলাই 2, 2020 ও অগাস্ট 21, 2020 এর বিজ্ঞপ্তি FIDD. MSME & NFS. BC. No.4/06.02.31/2020-21 লাগু হবে এবং বিজ্ঞপ্তির সময়ে সময়ে পরিমার্জন হবে। এছাড়াও, এমএসএমইগুলিকে শিল্পের প্রথম তফসিলে নির্দিষ্ট কোন শিল্প (উল্লয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1951 অনুযায়ী যে কোনও ভাবে পণ্য তৈরি বা উত্পাদন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত থাকতে হবে অথবা কোনও পরিষেবা বা পরিষেবা সরবরাহ কাজে যুক্ত থাকতে হবে।

এমএসএমইগুলিকে প্রদত্ত সমস্ত ব্যাংক ঋণ RBI এর দিকনির্দেশনা মেনে অগ্রাধিকার খাত ঋণ রূপে শ্রেণিবিন্যাসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে।

-----000-----




Udyam पन्जीयन लानायनि मुलाम्फाफोर

भारत सरकार, सरकारी हान्जानि सिङ्गाव थानाय जोबोद फिसा, फिसा आरो गेजेरनि फालांगियारि थांखि भारतनि खौरां बिलाय नायगा, गोमोथाव, नै बाहागो, बेंखन खोन्दो-थाम (3) सिंनि बेंखन खोन्दो (ii) जुन दाननि 26 अक्ट 2020 खालि मिथि होयोदि रां बाहायनाय आरो आरजिनायखौ जों खालामनानै बिजिरनायनि खान्थि एबा नेम बानायनानै फालांगियारि थांखिखौ जुलाइ दाननि से (1) अक्ट, 2020 निफ्राय जोबोद फिसा, फिसा आरो गेजेरनि फालांगियारि थांखि होन्नानै गलाय-मोन्देरै थाखो खालामनानै होबाय। रोखोमसे खालामनानै MSME नो गोदान रोखा ओंथि आरो आरामै फालांगि मावलांनो थाखाय बे नेम खान्थिया MSME खौ अरायथा पन्जीयन जानो थाखाय गोरलै खालामगोन बेनो जाहैबाय 'Udyam पन्जीयन'।

गिबि महर मोखां

बे फालांगियारि थांखिनि थाखाय सोरबा सासेया Udyam पन्जीयनखौ लाभ खालामनो हागोन। नैबे होनाय हाबलांग्रा लामा (Portal)<https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm> जों बे खरनिफ्राय बै खरसिम पन्जीयन खालामनो हागोन। Udyam पन्जीयन खालामनाया अनजिमाजों बिबांखौ दिन्थिनाय आरो लेखा बिलाइ नडै जागोन। जेबो फोरमान बिलाइ होनांगौनि गोनांथि गैया।

- पन्जीयन खालामनाया फुरायै बेसेन नाडै जागोन। खरसा एबा फैसा रावनोबो होनांनाय नडा।
- जोबथारयाव कम्पिउटारजों दबथायजानाय फोरमान बिलाइ (E-certificate) खौ होनाय जागोन।
- बे फोरमान बिलायाव खारथाय सोमोन्दै इसारा हांखो (QE Code) थागोन जेराव जोंनि हाबलांग्रा लामा (Portal) आरो फालांगियारि थांखि (Entrepreneur) सोमोन्दै नुनो मोनगोन।
- पन्जीयन खालामनाय समाव जाय थांखिनानै गावनि मिथिसार होनाय थार नक्साखौ दबथायनो नाजायो एबा गोदान मुगाजों खोब जाहोनाय खामानियाव हेंथा होयो बेखौ दायनिगिरि होन्नानै बेंखन खोन्दो 27 नि सिङ्गाव थानाय आइन बादियै जरिमाना लानाय जागोन।
- कम्पिउटारजों दबथायजानाय दाथाइया रां आरजिनायनि खाजना आरो माल-माथा आरो खामानिनि खाजना सिनायनो हानाय अनजिमा (GSTIN) दाथाय, गासैखौबो खौसे खालामदों। फालांगियारि थांखिनि थाखाय रां बाहायनाय आरो रां आरजिनायखौ सरकारि बिथं गुदिया गेबेडै गावनो गाव लादों।
- बैफोर जायहा EM-II एबा UAM पन्जीयन दंखायो एबा सरकारनि सिङ्गाव थानाय MSME बिबानगिरिनिफ्राय ओंखार होखानाय गुबुन पन्जीयन दंखायोब्ला 31-03-2021 नि सिगां गोदानै पन्जीयन खालाम फिन्नांगोन।
- फालांगियारी थांखिया खेबसेनि बारा पन्जीयन खालामनो मोननाय नडा। थेवबो जायखिजाया खामानिनि अनजिमा थानाय जन्थ्र बाहायनानै बानायनाय एबा खामानि एबा मोननैखौबो थियै मखनानै एबा दाजावनानै मोनसे पन्जीयनाव होनो हायो।



पन्जीयनखालामनायाव गोनां जानायः

- पन्जीयनखालामनायावआधार(Aadhar) नि अनजिमायाल गोनांथि जागोन।
- April दाननि से (1st) अष्ट 2020, निफ्राय PAN आरो GST नि अनजिमायाबिथोन गोनां जागोन।


पन्जीयनखालामनायनिमुलाम्फाफोरः

- बे पन्जीयनया फालांगियारि थांखि थानाय फरानि थाखाय अरायथा आरो आसोलसिनायथि अनजिमा जागोन।
- MSME पन्जीयना लेखा विलाय नाडा आरो थालायावनो फोसावनायनि सायाव जागोन।
- बेवहाय पन्जीयनखौ गोदान खालाम फिननांगौनि गोनांथि गैया।
- जायखिजाया खामानिनि अनजिमा थानाय जन्त्र बाहायनानै बानायनाय एबा खामानि एबा मोननैखौबो थियै मखनानै एबा दाजावनानै मोनसे पन्जीयना होनो हायो।
- Udyam पन्जीयनजों लोगोसे, फालांगियारि थांखिफ्रा गावखौनो GeM(सरकारनि e- हाथाइ जाइगा, G आरो B याव हाबलांग्रा लामा (Portal) आरो SAMADHAAN आव हाबलांग्रा लामा (Portal) (थंआ हाबलांग्रा लामा जेराव रां होनायाव गोबाव खालामोब्ला बिजरनो हायो) आरो गासै थाम (3) सुबिदागोनां थांखि बेनो जाहैबाय (i) www.invoicemast.com (ii) www.mlxchange.com (iii) www.rxil.in नि गेजेरजों MSME आ गावनो TReDs थांखियाव सुजुग बादियै खामानि मावना लानो हागोन।
- माखासे सरकारी हाबाफारि / बिथांखिनि मुलाम्फाखौ सुबिदा गोनां बानायनायाव Udyam पन्जीयनाMSME खौ हेफाजाब होगोन बिदिन्धि:- दाहार लानायाव जामिन जानाय बिथांखि (Credit Guarantee Scheme), साधारन मावफुं बिथांखि (Public Procurement Police) बेनि अनगायैबो सरकारी बिथोन होनायाव सिमा होनाय आरो रां होनायाव गोबाव खालामनायनि बेरेखा रैखाथि होनाय बायदि बायदि।
- अजन थानाय बेंखन खोन्दो दाहार होनायाव रां बाख्रिनिफ्राय जग्य जानानै फैयो।

अजन बेंखन खोन्दो दाहार होनायः

अजन बेंखन खोन्दो दाहार होनाय (The Priority Sector Lending) बोसोन खान्थिखौ भारतनि थिनानै दोनखानाय रां बाख्रि (RBI) आ ओंखारहोदों। बे बोसोन खान्थिनि नायनानै लाखानाय इराजि September दाननि 4 अक्टखालि भारतनि थिनानै दोनखानाय रां बाख्रि (RBI) आ बोसोन खान्थिखौ ओंखारहोदों आरो बेनि बेंखन महरनि अनजिमाया RBI/FIDD/2020-21/73 फोरोंगिरि दिग FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21

अजन बेंखन खोन्दोनि सिंआव थानाय थाखो गोरोबथाया जाहैबाय – (1) आबाद (2) जोबोद फिसा, फिसा आरो गेजेरनि फालांगियारि थांखि (3) माल-माथा दैथाय हरनायाव दाहार होनाय (4) सोलेंथाय (5) न लुनाय (6) सामाजारि बिथा (7) गोदान खालामनो हाथाव गोहो (8) गुबुन। बेनिखाइनो MSME बेंखन खोन्दोया अजन बेंखन खोन्दो दाहार होनायाव गोग्लैयो। भारतनि थिनानै दोनखानाय रां बाख्रि (RBI) बायदिब्ला MSME नि ओंथिया भारत सरकार बायदियै जागोन, सरकारनि खौरां मिथिसार विलाय S.O.2019 (E) इराजि जुन दाननि 26 अक्ट




2020 खालि बेंखन महरनि लिरनाय सोदोबखौ फराय RBI/2020-2021/10 FIDD. MSME आरो NFS. B.C. अनजिमा 3/06.02.31/2020-21 लिरनाय सोदोबखौ FIDD.MSME आरो NFS BC.

अनजिमा 4/06.02.31/2020-21, इंराजी जुलाइ दाननि 2 अक्टूबर 2020 इंराजी आगष्ट दाननि 21 अक्ट, 2020 जोबोद फिसा, फिसा आरो गेजेरनि फालांगियारि थांखि गोदान मुगाजों खाब जाहोदों। बेनि अनगायै, MSME या जन्त्र बाहायनानै बानायनाय एबा माल-माथा बानायनायाव थिसन्नानै, जायखिजाया रोखोमनि खल-कारखानाजों सोमोन्दो थानाय सिगां समनि फारिलायाव थियै मुंखखानाय खल-कारखानानि आइन्, 1951 एबा साजायना होनायाव थिसन्नाय एबा जायखिजाया खामानि एबा खामानि फर्शन राव दानस्लायनाय।

गासिबो रां बाख्नि MSME नो दाहार होनाया भारतनि थिनानै दोनखानाय रां बाख्नि (RBI) नि बोसोन खान्थिखौ रोखोमसे खालामनाया अजन थानाय बेंखन खोन्दो दाहार होग्रानि सिडाव थानायफ्रा थाखो खालामजानायाव गुनगोनां जागोन।

-----000-----




उद्यम रजिस्ट्रेशन दे फायदे

भारत सरकार दे माइक्रो, लौहके ते मझाटले उद्यम गजट आफ इंडिया, ऐक्स्ट्राआर्डिनरी, भाग-II, सब-सैक्शन(ii), 26 जून, 2020 गी नोटिफाइड इक रले-मिले क्राईटेरिये आहले इन्वैस्टमेंट ते उद्यम गी वर्गीकृत करने आहले माइक्रो, लौहके ते मझाटले उद्यम दे 2020 दे जुलाई आहले पैहले ध्याड़े आस्तै। MSME दी नमी परिभाशा गी जकीनी तौर पर पक्का करने ते बपार गी सौखा करने आस्तै एह सिस्टम MSMEs सुविधा लेई स्थाई रजिस्ट्रेशन अर्थात् उद्यम रजिस्ट्रेशन।

चेचियां सिफतां

- उद्यम आस्तै कोई बी उद्यम रजिस्ट्रेशन करोआई सकदा ऐ। इसदा पोर्टल ऐ ~ <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm>
- उद्यम रजिस्ट्रेशन दी प्रक्रिया पूरी डिजिटलाईज्ड ते बिजन कागज दे ऐ।
- कुसै बी डाकूमेंट गी अपलोड करने दी लोड़ नेई ऐ।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बिलकुल फ्री ऐ। कुसै गी कोई कीमत जां फीस नेई दिती जंदी।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दे पूरा होने पर इक आनलाइन सर्टिफिकेट दिता जाग, जिस पर ~उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट छपे दा होग।
- सर्टिफिकेट पर इक डायनामिक QR कोड होग, जिस कन्नै उद्यमी साढ़े पोर्टल दे वैब पेज गी खंघाली सकदा ऐ।
- जेकर कोई जानी-बुज्झियै मिसरिप्रजेंट जां उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर दिते दे आत्म-व्यक्त तत्थें जां हिन्सें गी जां अपडेशन प्रक्रिया गी बदलने दा जतन करै तां उसगी ऐक्ट दी धारा 27 दे तैहत दंडित कीता जाई सकदा ऐ।
- आनलाइन सिस्टम पूरी चाल्ली कन्नै जुड़े दा होंदा ऐ~ इंकम टैक्स ते गुड्स एंड सर्विसेज आईडेंटिफिकेशन नम्बर (GSTIN) प्रणालियें ते इन्वैस्टमेंट दे ब्योरे ते उद्यम दे कारोबार कन्नै। एह अपने आप सरकारी डाटा बेसिस कन्नै जोड़ी दिंदा ऐ। जानकार विशेशज इस कारोबारी स्हाब-कताब च शामिल नेई होंदे।
- जिंदे कोल EM-II जां UAM रजिस्ट्रेशन जां कोई होर रजिस्ट्रेशन MSME मंत्रालय दे तैहत अथार्टी जारी कीती दी होऐ, उंनें परतिये 31.03.2021 तक्कर अपने आपै गी रजिस्टर करोआना होग।
- कोई बी उद्यम इक कोला मते उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल नेई करी सकदा ऐ। उंआं केई किस्मै दियां गतिविधियां जिंयां बनाना जां सेवा जां दोऐ गतिविधियां इक रजिस्ट्रेशन च शामिल जां जोड़ियां जाई सकदियां न।



रजिस्ट्रेशन आस्तै जरूरी

- सिर्फ़ इक आधार कार्ड दा नम्बर रजिस्ट्रेशन आस्तै काफी ऐ।
- पैन जां जी ऐस टी (GST) नम्बर होना 01.04.2021 तककर लाज़मी होई जाग।

रजिस्ट्रेशन दे फायदे

- एह स्थाई जां पक्का रजिस्ट्रेशन होग ते उद्यम दा बेसिक शनाख्त नम्बर होग।
- केई किस्मै दियां गतिविधियां जिं'यां बनाना जां सेवा जां दोऐ गतिविधियां इक रजिस्ट्रेशन च शामिल जां जोड़ियां जाई सकदियां न।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन दे कन्नै उद्यम जीईएम (GeM) ते समाधान पोर्टल कन्नै बी जोड़ी सकदा ऐ ते MSMEs दे TRedS प्लेटफार्म जिं'दे तैहत त्रै प्लेटफार्म औंदे न जिं'यां ~
1.www.invoicemart.com 2.www.m1xchange.com 3.www.rxil.in
- उद्यम रजिस्ट्रेशन MSMEs आस्तै मददगार ऐ। ते MSMEs मंत्रालय दिये योजनाएं दे फायदे लैने आस्तै बी मददगार ऐ जिं'यां क्रेडिट गरैटी स्कीम, पब्लिक प्रक्रेओरमेंट पालसी, जिस कन्नै सरकारी टेंडरें ते चिरके भुगतान बगैरा भुगतान आस्तै बी उपयोगी ऐ।
- बैंकें थमां कर्जे आस्तै प्रिओरिटी सैक्टर दी योग्यता हासल ऐ।

कर्जे आस्तै प्रिओरिटी सैक्टर :

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी कर्जे आस्तै प्रिओरिटी सैक्टर (PSL) दे दिशा-निर्देशों दे अपने सर्कुलर नम्बर RBI/FIDD/2020-21/72 प्रमुख निर्देशों FIDD.Co.Plan BC.5/04/2020-21 dated सितम्बर,04,2020 मताबक प्रिओरिटी सैक्टर दे तैहत कैटेगरियां न :~


- 1) राही-बाही
- 2) माईक्रो, लौहके ते मझाटले उद्यम
- 3) एक्सपोर्ट क्रेडिट
- 4) शिक्षा
- 5) हाऊसिंग
- 6) समाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
- 7) रिनियूवल ऊजा
- 8) होर दुइयां।

इसकरी,MSME औंदा ऐ कर्जे दे प्रिओरिटी सैक्टर च। RBI मताबक MSMEs दी परिभाशा भारत सरकार दी गज़ेट नोटिफिकेशन S.O.2019 (E) dated 26 जून, 2020 गी इ'नें सर्कुलरें दे क्रमानुसार पढ़ेआ जा~ RBI/2020-21/10 FIDD.MSME & NDS BC.No.03/06.02.31/2020-21 ते FIDD.MSME & NFS.BC.No 4/06.02.2020-21 dated 02,जुलाई,2020, 21अगस्त,2020 एह सर्कुलरज़ माइक्रो दे क्रेडिट फ्लो,लौहके ते मझाटले उद्यमी सैक्टर समें-समें पर कीते गेदे अपडेट्स आस्तै न। कन्नै गै,ऐसे MSMEs जेहड़े जिन्सें दे उत्पादन जां निर्माण दे कुसें बी रूप कन्नै सरबंधित



होन,जां कुसै बी इंडस्ट्री जेहड़ी पैहली अनुसूची च दिती दी ऐ डवैल्पमेंट ते नियम (Development and Regulation Act 1951 जां कुसै किस्म दियां सेवां देआ करदे होन।
RBI दे दिशा-निर्देशे अनुसार MSMEs गी सभने बैके दे कर्जे प्रिओरिटी सैक्टर कर्जे अंदर योग्य ते वर्गीकृत न।

-----000-----



Benefits of taking Udyam Registration

The Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section(ii), Dated the 26th June, 2020 notified a composite criteria consisting of both investment and turnover as criteria for classifying the enterprises as Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the 1st day of July, 2020.


In order to conform new definition of MSMEs and ease of doing Business this system would facilitate MSMEs for a permanent Registration i.e 'Udyam Registration'.

Salient features:

- Anyone may obtain the Udyam Registration for the enterprise. It can be registered through the portal i.e. <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm>
- The process for Udyam Registration is fully digitalized and Paperless. There is no need to upload any document.
- Registration Process is totally free. No Costs or Fees are to be paid to anyone.
- An e-certificate, namely, “Udyam Registration Certificate” shall be issued online on completion of the registration process.
- This certificate has a dynamic QR Code from which the web page on our Portal and details about the enterprise can be accessed.
- Whoever intentionally misrepresents or attempts to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Udyam Registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the Act.
- The online system is fully integrated with Income Tax and Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) systems, details on investment and turnover of enterprises are taken automatically from Government data bases. Exports are not taken as part of turnover calculation.
- Those who have EM-II or UAM registration or any other registration issued by any authority under the Ministry of MSME, will have to re-register themselves before 31.03.2021.
- No enterprise shall file more than one Udyam Registration. However, any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Registration.

Requirement for Registration:

- Only Aadhar Number is enough for registration.



- Having PAN & GST number is mandatory from 01.04.2021.

Benefits of this registration:

- It will be a permanent registration and basic identification number for an enterprise.
- MSME Registration is paperless and based on self- declaration.
- There will be no need for renewal of Registration.
- Any number of activities including manufacturing or service or both may be specified or added in one Registration. Along with the Udyam Registration, Enterprises may register themselves on GeM (Government e-Market place, a portal for G to B) & SAMADHAAN Portal (a portal to address issues relating to delay in payments) and simultaneously MSMEs themselves can also onboard on TReDS Platform,(the invoices of receivables are traded on this platform) through three available platforms i.e. 1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in ".
- The Udyam Registration may also help MSMEs in availing the benefits of Schemes of Ministry of MSMEs such as Credit Guarantee Scheme, Public Procurement Policy, additional edge in Government Tenders & Protection against delayed payments etc.
- Becomes eligible for priority sector lending from Banks.

Priority Sector Lending:

The Priority Sector Lending (PSL) guidelines are issued by Reserve Bank of India. RBI has issued guidelines on Priority Sector Lending vide its circular no RBI/FIDD/2020- 21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020. Accordingly, the categories under priority sector are (i) Agriculture (ii) Micro, Small and Medium Enterprises (iii) Export Credit (iv) Education (v) Housing (vi) Social Infrastructure (vii) Renewable Energy (viii) Others. Therefore, MSME Sector falls under Priority Sector Lending. As per RBI, the definition of MSMEs will be as per Government of India (GoI), Gazette Notification S.O. 2119 (E) dated June 26, 2020 read with circular RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21 read with FIDD.MSME & NFS. BC. No.4 / 06.02.31/2020-21 dated July 2, 2020, August 21, 2020 respectively on 'Credit flow to Micro, Small and Medium Enterprises Sector' and updated from time to time. Further, such MSMEs should be engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or engaged in providing or rendering of any service or services.

All bank loans to MSMEs conforming to the RBI guidelines qualify for classification under priority sector lending.

-----000-----




ઉધમ નોંધણી લેવાનાં ફાયદા

સુક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય, ભારત સરકાર, ભારતીય રાજપત્ર, અસાધારણ (GAZETTE OF INDIA) ભાગ-2, વિભાગ-3, પેટા વિભાગ (2)નાં તારીખ-26મી જૂન, 2020નાં દિવસેથી સુક્ષ્મ નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને રોકાણ અને (ટર્ન ઓવર)નાં સંયુક્ત માપદંડને આધારીત વર્ગીકૃત કરવા માટે સુચિત કરવામાં આવ્યા જે તારીખ 1લી જુલાઈ 2020નાં રોજથી અમલમાં આવેલ છે.

આ રાજપત્રીય સુચના નવા એમ.એસ.એમ.ઈ. એકમોને વ્યવસાયિક સરળતા માટે “ઉધમ નોંધણી” એ કાયમી નોંધણીની સુવિધા પુરી પાડે છે.

મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ:

- કોઈપણ ઉત્પાદન અને સેવા આપતા એકમો “ઉધમ નોંધણી” મેળવી શકે છે. જે નોંધણી પોર્ટલ એટલે કે <http://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-Msme-registration.htm> વેબ પેજ ઉપર સરળતાથી નોંધણી કરાવી શકે છે.
- ઉધમ નોંધણી માટેની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ ડીજીટલાઈઝ અને પેપરલેસ છે. તે માટે કોપણ પ્રકારનાં દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાની જરૂર નથી.
- ઈ-પ્રમાણપત્રનું નામ “ઉધમ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર” ઓનલાઈન નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી જારી કરવામાં આવશે.
- આ પ્રમાણપત્રમાં ડાયનેમીક ક્યુરઆર કોડ છે. જેમાંથી અમારા પોર્ટલ ઉપરનું વેબ પેજ અને એકમો વિશેની વિગતો જાણી (accesse) કરી શકાય છે.
- જેઓ જાણી જોઈને ખોટી રજુઆત કરે અથવા અપ્રમાણિત તથ્યો અને આંકડાઓ ઉધમ નોંધણીની પ્રક્રિયામાં અપટેડ કરે, તેઓ આ કાયદાની કલમ-27 હેઠળ દંડને પાત્ર ઠરશે.
- આ ઓનલાઈન સીસ્ટમ આવકવેરા અને ચીજવસ્તુઓ અને સેવા કરતાં ઓળખ નંબર (GSTIN) સાથે સંપૂર્ણ રીતે સ્વયં સંકલિત છે. ઉધમનાં રોકાણ અને કુલ વેચાણ અંગેની વિગતો આપોઆપ સરકારી ડેટા બેઝમાંથી લેવામાં આવે છે, ઉધમનાં નિકાસ (Export)ની વિગતો કુલ વેચાણ (Turnover)નો ભાગ ગણવામાં આવતો નથી.




- જેઓની પાસે “EM-II” અથવા “UAM” નોંધણી અથવા એમ.એસ.એમ.ઈ. મંત્રાલયનાં અધિકારીતા ધરાવતા અન્ય નોંધણી પ્રમાણપત્ર છે તેઓએ તારીખ 31 માર્ચ, 2021ના પહેલા ફરીથી નોંધણી કરાવવી પડશે.
- કોઈપણ ઉદ્યોગ એક કરતાં વધારે “ઉદ્યોગ પ્રમાણપત્ર” મેળવી શકશે નહીં કોઈપણ એકમ ઉત્પાદન અથવા સેવા, બંને અથવા કોઈ એક માટે નોંધણી કરાવી શકશે.

નોંધણી માટે આવશ્યકતા:

- નોંધણી માટે ફક્ત આધારકાર્ડ નંબર જ જરૂરી હોય છે.
- તારીખ 1લી એપ્રિલ, 2021 બાદ પાનકાર્ડ (પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ માટે) અને જી.એસ.ટી. નંબર ઉદ્યોગ નોંધણી માટે ફરજિયાત રહેશે.

આ નોંધણીનાં ફાયદા:

- ઉદ્યોગ નોંધણી એ એકમો માટે મૂળભૂત ઓળખ અને કાયમી નોંધણી હશે.
- એમ.એસ.એમ.ઈ. (ઉદ્યોગ નોંધણીને કાગળ વીના (Paper Less) અને સ્વઘોષિત માહિતી આધારીત છે.
- આ નોંધણી માટે નવીનીકરણ (Renewal) જરૂરી રહેતી નથી.
- એકમોની ઉત્પાદન અથવા સેવા અથવા બંને સહિતની કોઈપણ પ્રવૃત્તિઓ (એક અથવા એકથી વધારે) ઉલ્લેખ નોંધણી વખતે કરી શકાય છે.
- ઉદ્યોગ નોંધણીની સાથે સાથે એકમો ગર્વમેન્ટ ઈ-માર્કેટ (GeM, જી.ટુ.બી. પોર્ટલ) અને સમાધાન પોર્ટલ (જેમાં ચુકવણીમાં વિલંબ સંબંધિત મુદ્દાઓને ધ્યાને લેવાનું પોર્ટલ) અને સાથે સાથે એકમો પોતે (TReDs) પ્લેટફોર્મ (કે જ્યાં લેણાના બીલના વેપાર થાય છે.) ((1) Dwww.invoicemart.com (2) www.m1xchange.com (3) www.rxil.in) ઉપર જોઈ શકે છે.
- એકમોને ઉદ્યોગ નોંધણી દ્વારા એમ.એસ.એમ.ઈ. મંત્રાલયનાં વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે, ક્રેડિટ ગેરંટી યોજના, જાહેર ઉપાર્જન નીતિ અને વધારામાં સરકારી ટેન્ડર તથા વિલંબિત ચુકવણીનાં કેસોમાં વધારાની મદદ મળી શકે છે.




અગ્રતા ધિરાણક્ષેત્ર:

- રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા પ્રાધાન્યતા ક્ષેત્ર ધિરાણ (પીએસએલ) માટે માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવે છે. આ માટે આર.બી.આઈ. એ પ્રાધાન્યતા ક્ષેત્રનાં ધિરાણ અંગે માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. તેનાં પરિપત્ર નંબર: આર.બી.આઈ./એફ.આઈ.ડી.ડી./2020-21/72 માસ્ટર દિશા નિર્દેશો (FIDD/Co.Plan.BC.5/04/09/01/2020-21) તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર, 2020 આ પ્રમાણે અગ્રતા ક્ષેત્ર હેઠળની શ્રેણીઓ આ પ્રમાણે છે. (1) કૃષિ, (2) માઈક્રો નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો, (3) એક્સપોર્ટ ક્રેડીટ, (4) શિક્ષણ, (5) હાઉસીંગ, (6) સામાજિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, (7) પુના: પ્રાધ્ય ઉર્જા, (8) અન્ય આથી એમ. એસ.એમ.ઈ. પ્રાયોરીટી સેન્ટર હેઠળ આવે છે.
- આર.બી.આઈ. મુજબ ભારત સરકારનાં રાજપત્ર (Gazette Notification) સુચના (S.O.2119(E) dated June-26, 2020) સાથે વાંચવામાં આવશે. (પરિપત્ર) (circular, RBI/20202-2021/10 FIDD.MSME & NFS.BC. No.3/06-02-31/2020-21 dated : July 2, 2020, & August, 21, 2020) પ્રમાણે સુક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ માટે સાહસો માટે ધિરાણ અને સમયાંતરે તેમાં સુધારા થાય તે મુજબ, આગળ ઉપર આવા એમ.એસ.એમ.ઈ. સાહસો ઉત્પાદન અથવા કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુનાં ઉત્પાદન કરવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ હોવા જોઈએ. અથવા કોઈપણ પ્રકારની સેવા અથવા સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં રોકાયેલી હોય જે ઉદ્યોગો (વિકાસ અને નિયમિત) અધિનિયમ 1951ની પ્રથમ સુચીમાં ઉલ્લેખિત ઉદ્યોગો અંતર્ગત હોવા જોઈએ.

આર.બી.આઈ.ની ગાઈડ-લાઈન મુજબ એમ.એસ.આઈ. સાહસો બધી બેંકની લોન માટે અગ્રતા ક્ષેત્ર ધિરાણ માટે વર્ગીકૃત છે.

-----000-----




उद्यम पंजीकरण के लाभ

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), दिनांकित 26 जून, 2020 के तहत एक समेकित मानदंड अधिसूचित किया है जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश और कारोबार दोनों का मानदंडों के रूप में शामिल किया गया है जो 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा का अनुपालन करने तथा व्यापार करने की सुगमता के उद्देश्य से यह प्रणाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए स्थायी पंजीकरण अर्थात 'उद्यम पंजीकरण' की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगी।

मुख्य विशेषताएं:

- कोई भी उद्यम के लिए उद्यम पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। इसे <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm> पोर्टल के जरिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया डिजिटलीकृत तथा कागज रहित है। किसी भी दस्तावेज अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क है। इसके लिए किसी को कोई लागत या शुल्क का भुगतान नहीं करना है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर "उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र" नामक ई-प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
- इस प्रमाण-पत्र का एक डायनेमिक क्यूआर कोड होता है जिसकी सहायता से हमारे पोर्टल पर उपलब्ध वेब पेज तथा उद्यम के बारे में मौजूद जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- जो कोई जान-बूझकर उद्यम पंजीकरण में दिए गए स्व-घोषित तथ्यों और आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या उन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास करता है या अद्यतन प्रक्रिया में गलत जानकारी देता है, अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शास्ति का दायी होगा।
- ऑनलाइन प्रणाली आय कर तथा सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्रणालियों के साथ पूर्णतया एकीकृत है, उद्यमों के निवेश और उनके कारोबार से संबंधित ब्यौरे सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किए जाते हैं। निर्यात को कारोबार के परिगणन के भाग के रूप में विचार नहीं किया जाता है।



- ऐसे उद्यम जिनके पास ईएम-II या यूएम पंजीकरण या एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य पंजीकरण है, उन्हें दिनांक 31.03.2021 से पूर्व स्वयं को पुनः पंजीकृत करना होगा।
- कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण दायर नहीं करेगा। तथापि, विनिर्माण अथवा सेवा या दोनों से जुड़े किन्हीं भी कार्यकलापों को एक पंजीकरण में विनिर्दिष्ट अथवा जोड़ा जा सकता है।

पंजीकरण के लिए आवश्यक:


- केवल आधार संख्या पंजीकरण के लिए पर्याप्त है।
- दिनांक 01.04.2021 से पैन और जीएसटी संख्या का होना अनिवार्य है।

इस पंजीकरण के लाभ

- यह एक स्थायी पंजीकरण होगा तथा यह किसी उद्यम की आधारभूत पहचान होगा।
- एमएसएमई पंजीकरण कागज रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है।
- पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- विनिर्माण या सेवा अथवा दोनों से जुड़े किन्हीं भी कार्यकलापों को एक पंजीकरण में विनिर्दिष्ट अथवा जोड़ा जा सकता है।
- उद्यम पंजीकरण के साथ उद्यम स्वयं को जेम (सरकारी ई-बाजार क्षेत्र, जी से बी के लिए एक पोर्टल) तथा समाधान पोर्टल (भुगतान में विलंब से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक पोर्टल) पर पंजीकृत कर सकते हैं तथा साथ ही साथ एमएसएमई तीन उपलब्ध प्लेटफॉर्मों अर्थात् 1. www.invoicemart.com 2. www.m1exchange.com 3. www.rxil.in स्वयं को टीआरडीएस प्लेटफॉर्म (प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के इन्वाइस का इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार किया जाता है) पर भी सम्मिलित कर सकते हैं।
- उद्यम पंजीकरण एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम, सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी निविदाओं में अतिरिक्त बढ़त और विलंबित भुगतानों के खिलाफ सुरक्षा आदि का लाभ उठाने में भी एमएसएमई की सहायता कर सकता है।
- बैंकों से प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण के लिए पात्र बनाता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण :


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने (पीएसएल) के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/एफआईडीडी/2020-21/72 मास्टर डायरेक्शन एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.5/04.09.01/2020-21 दिनांक 04 सितम्बर, 2020



द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्रेणियां हैं (i) कृषि (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (iii) निर्यात क्रेडिट (iv) शिक्षा (v) हाउसिंग (vi) सामाजिक अवसंरचना (vii) नवीकरणीय ऊर्जा (viii) अन्य । अतः एमएसएमई क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत आता है। आरबीआई के अनुसार, एमएसएमई की परिभाषा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर भारत सरकार (जीओआई) के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 जिसे परिपत्र आरबीआई/2020-21/10 एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21 के साथ पढ़ा जाए जिसे एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी. सं.4/06.02.31/2020-21 क्रमशः दिनांक 2 जुलाई, 2020, 21 अगस्त, 2020 के साथ पढ़ा जाए और जिसे समय-समय पर अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, ऐसे एमएसएमई उद्योग की पहली अनुसूचि (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन में लगा हुआ हो अथवा किसी सेवा या सेवाओं को प्रदान करने में लगा हुआ हो।

एमएसएमई को सभी बैंक ऋण, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए योग्य हैं।

-----000-----



ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯವು, ಭಾರತದ ರಾಜಪತ್ರ, ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ, ಭಾಗ-II, ಪ್ರಕರಣ-3, ಉಪ-ಪ್ರಕರಣ (ii), ದಿನಾಂಕ 26ನೇ ಜೂನ್ 2020 ರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು 1ನೇ ಜುಲೈ, 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ ನೋಂದಣಿ ಎಂದರೆ 'ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ' ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

- ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂದರೆ <http://udyamregistration.gov.in/Government-India/Misistry-MSME-registration.htm> ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕೃತ ಮತ್ತು ಕಾಗದರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
- ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇ-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.



- ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸಮರ್ಥವಾದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪುಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಅಪ್‌ಡೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 27ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವಂಥ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು.
- ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿಐಎನ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶ ಮೂಲದಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ವಹಿವಾಟಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಇಎಮ್-II ಅಥವಾ ಯುಎಎಮ್ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 31.03.2021 ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಮರುನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
- ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ನೋಂದಣಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ:

- ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
- 01.04.2021 ರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.



ಈ ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಯಂ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
- ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಯ ನೋಂದಣಿಯು ಕಾಗದರಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.
- ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಗಳು ತಾವು ಜಿಇಎಮ್ (ಜಿ ನಿಂದ ಬಿ ವರೆಗಿನ ಪ್ರೋಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ) ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ್ (SAMADHAAN) ಪ್ರೋಟೆಕ್ಟ್ (ಯಾವುದೇ ಹಣ ಸಂದಾಯದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರೋಟೆಕ್ಟ್) ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸ್ವತಃ ಮೂರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಂದರೆ,- 1. www.invoicemart.com, 2. www.mlxchange.com, 3. www.rxil.in ಟೆಆರ್‌ಇಡಿಎಸ್ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಬಹುದು (ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಇನ್‌ವಾಯಿಸ್‌ಗಳು ಈ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗುತ್ತದೆ).
- ಉದ್ಯಮ ನೋಂದಣಿಯು ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಗಳಿಗೆ ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖರೀದಿ ನೀತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆ (ಎಡ್ಜ್) ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆ:

ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ.



ಆರ್ಪಿಐ/ಎಫ್‌ಐಡಿಡಿ/2020-21/72

ಪ್ರಧಾನ

ನಿರ್ದೇಶನಗಳು

ಎಫ್‌ಐಡಿಡಿ.ಸಿ.ಓ.ಪ್ಲಾನ್.ಬಿಸಿ.5/04.09.01/2020-21 ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 04, 2020 ರ ಮೂಲಕ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ (i) ಕೃಷಿ, (ii) ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು, (iii) ರಫ್ತು ಸಾಲ, (iv) ಶಿಕ್ಷಣ, (v) ವಸತಿ, (vi) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, (vii) ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ, (viii) ಇತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ವಲಯವು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಪಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ನಗದು ಹರಿವು ಕುರಿತಂತೆ ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಭಾಷೆಯು, ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್ಪಿಐ/2020-2021/10 ಎಫ್‌ಐಡಿಡಿ. ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್.ಬಿಸಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 3/06.02.31/2020-21 ರ ಸಹವಾಚನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್‌ಐಡಿಡಿ.ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್.ಬಿಸಿ. ಸಂಖ್ಯೆ 4/06.02.31/2020-21 ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 2, 2020, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2020 ರ ಸಹವಾಚನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಪತ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಸ್.ಓ.2119 (ಇ) ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 26, 2020 ರ ಅನುಸಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಅಂತಹ ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1951 ರ ಮೊದಲ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಆರ್ಪಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ಎಂಎಸ್‌ಎಮ್‌ಇಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲಗಳು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ.

-----000-----



اُدیم اندراج کرئو فاید

مرکزی سرکار کہ ایم ایس ایم ای (MSME) یعنی لوکٹین تہ بڈن کار باری ادارن ہندی وزارتین چھ سیکشن ۳، حصہ دویم، سب سیکشن (II) دوہ ۲۷/ جون ۲۰۲۰ سرمایہ کاری ہندی حوالہ لوکٹین تہ بڈن کار باری ادارن ہندی گریڈ ۱۱ جولائی ۲۰۲۰ پٹھ لاگو گھان چھ۔

ایم ایس ایم ای دایرس نو طرح دینہ تہ باپا سہل بناونہ خاطر کر یہ نظام مستقل اُدیم اندراج، باپتھ اتھ روٹ۔

نئی خصوصیت:

☆ کانہہ تہ ہیکہ پنہ باپا خاطر اُدیم اندراج حاصل کر تھ۔ یہ اندراج ہیکہ امہ وزارتہ کس پٹھ پوٹس پٹھ کرنہ

تھ: <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm>

☆ اُدیم اندراج چھ پو پٹھ کاغذ وراے تہ انٹرنیٹ ڈرک یہ۔ کانہہ تہ کاغذ چھنے کمپیوٹرس پٹھ کھارنچ ضرورتھ۔

☆ اندراج چھ مفت تہ امہ خاطر چھنے کانہہ تہ فیس برن۔

☆ پیلہ اندراج مکمل گروہ، تمہ پتہ یہ انٹرنیٹ ڈرک یے اکھ سندتہ جاری کرنہ پتھ ”اُدیم اندراج سند“ ناو آسہ۔

☆ یوسہ یہ ندچھ اتھ چھ اھ کیو آر (QR) کوڈ آسان نیمہ ستر انٹرنیٹ پوٹل پٹھ باپا رکی ادارس متعلق زانکاری دینہ پتھ ہیکہ۔

☆ یو دوے کانہہ زانکارتھ ماٹھ پنس باپا رکی ادارس متعلق غلط زانکاری دینہ، تہ پنہ امہ ایکٹ کہ دفعہ ۲۷/ پنس تحت لگہ برن۔

☆ یہ آن لائن نظام چھ انکم ٹیکس تہ جی ایس ٹی آئی این نظامس ستر رلا پتھ، سرمایہ کاری تہ آمدنی ہندی حوالہ ہیکہ سرکاری

دستاویز پٹھ زانکاری حاصل کرنہ پتھ۔

اندراج

☆ یو دوے کانہہ ای ایم II (EM-II) یا یو اے ایم (UAM) اندراج یا ایم ایس ایم ای پنس تحت بدل گینہ ستر

آسہ، تمہ پنہ ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ عیسوی پنس تام نہ سر اندراج کرن۔

کانہہ تہ باپا رکی ادارہ کرنہ کہ کھوتہ علاو اُدیم اندراج۔ اما پوزا کہ کھوتہ زیادہ کامہ یا سرگرمیہ گروہن اھ کہ سہ اندراجس منز ہاونہ پینہ۔



اندراج کرنے خاطر کیا دہچھ ضروری:

☆ آدھار نمبر چھ اندراج خاطر کافی۔

☆ ۱۱ اپریل ۲۰۲۱ عیسوی پٹھ چھ پین (PAN) تہ جی ایس ٹی (GST) نمبر ضروری۔

اندراج کرنے فائد:

☆ یہ آسہ مستقل اندراج تہ باپا ری ادار خاطر ا لھ بنیادی پچھان۔

☆ ایم ایس ایم ای اندراج چھ کاغذ ور اے سپدان تہ پنڈ تفصیل چھ پائے و بڑھناوڈی۔

☆ نیہ سر اندراج کرنے چھ کائہہ ضروری تھ۔

☆ ایم تہ سر گرمیہ آسن تم گڑھن ا کر ہے اندراجس منز ہاونہ ینہ۔

☆ اڈیم اندراجس ستر ستر ہبکن باپا ری ادار جی ای ایم (جیم) پوٹل تہ سادھان پوٹل (پونسن ڈیر لگنہ خاطر شکایتن متعلق بناونہ آمت پوٹل) ڈری یہ پن ادار درج کرنی تہ باپارس متعلق زانکاری گڑھ یو تریو ویب سائیو ڈری یہ کرنی:

1. www.Involcemarket.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxll.in

☆ اڈیم اندراج ہیکہ لوکٹین تہ بڈن باپا ری ادارن امہ وزارتہ چو سکیمونش فائد حاصل کرنس منز مدد گرتھ مثالے ووزم ضمانتی

سکیم، عوامی خریداری پالیسی، سرکاری ٹینڈر تہ پونسن ہنز تپری ادائیگی متعلق بچاؤ۔

☆ بنک دس قرض دینہ خاطر چھ اے مس گوڈ انواری۔

قرض دس منز کمن چھ گوڈ انواری:

گوڈ انواری قرض دس متعلق چھ ریزرو بنک آف انڈیا (آر بی آئی) ہب استھ جاری کران۔ آر بی آئی ین چھ امہ حوالہ


اکہ اعلانہ زیر نمبر آر بی آئی / ایف آئی ڈی ڈی / ۲۰۲۰-۲۰۲۱ / ۷۲ ماسٹر ڈائریکشن ایف آئی ڈی ڈی . پلان . بی

سی . ۴/۷ بتاریخ ۴ ستمبر ۲۰۲۰ جاری کورمت۔ یکن زمرن گوڈ انواری چھ تمن منز چھ: (۱) زراعت (۲) لوکڑ تہ درمیانہ درچکو

باپا ری ادار (۳) برآمد (۴) تعلیم (۵) رہا پش (۶) سماجی ڈھانچہ (۷) قابل تجدید توانائی (۸) باقے۔ امہ مطابق چھ ایم ایس ایم

آئی ڈی تریجیشن منز شامل۔ آر بی آئی مطابق چھ ایم ایس ایم ای سن ہنز نشاندہی مرکزی سرکار کہ گیزیٹ نمبر ایس او ۲۱۱۹ (ای)

بتاریخ ۲۶ جون ۲۰۲۰ تہ ترمیم کرنہ آمتہ آر بی آئی / ۲۰۲۰-۲۰۲۱ / ۱۰ / ایف آئی ڈی ڈی ایم ایس ایم ای تہ این ایف ایس . بی




سى . نمبر ۳ / ۶-۲-۳۱/۲۱-۲۰۲۰ تہ ایف آئی ڈی ڈی ڈی . ایم ایس ایم ای تہ این ایف ایس . بی سی . نمبر ۳/۶-۲-۳۱/۲۱-۲۰۲۰ بتاریخ ۲ جولائی ۲۰۲۰، اگست ۲۱، ۲۰۲۰ ڈری یہ کرنے آہستہ آہستہ مٹھ کو کٹھن تہ درمیانہ درجہ کھن باپاری ادارن خاطر ووزم وئس متعلق تہ زانکاری۔ یہ چھ وزوز تازہ کرنے یوان۔ امہ علاؤ گڑھن بیم ایم ایس ایم ای چیون ہندس پادوارس کن ووٹہ انہ تہ تیج تفصیل صنعتی (ترقی تہ نظام) کس ۱، ۱۹۷۱ عیسوی کس ایکٹس تحت نشاندہی کرنے تہ گڑھ۔

ایم ایس ایم ای سن خاطر آری آئی مطابق ہمدایتن پٹھ و تران والسین یہ گوڈ انوار قرضہ دینہ۔



-----000-----



उद्यम नोंदणीकरणाचे फायदे

भारत सरकाराच्या सूक्ष्म, लघू आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयान तारीख 26 जून 2020 च्या असाधारण भाग-III- खंड 3 – उप-खंड (ii) ह्या भारताच्या राजपत्रांत सूक्ष्म, लघू आनी मध्यम उद्देगांचे वर्गीकरण करूंक गुंतवणूक आनी एकंदर उत्पनांचे दोनूय संमिश्र निकश म्हूण 1 जुलय 2020 सावन अधिसुचीत केल्या.

ऍमऍसऍमईची नवी व्याख्या आनी वेवसाय निश्चित करूंक ह्या प्रणालीच्या कायम स्वरूपी नोंदणीकरणा खातीर ऍमऍसऍमईची प्रक्रिया सुलभ करतली, ती प्रक्रिया म्हणजे “उद्यम नोंदणीकरण”.

मुखेल वैशिष्ट्यां:

- खंयचीय व्यक्ती उद्देगा खातीर उद्यम नोंदणी प्राप्त करूंक शकता.
<https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm> ह्या पोर्टला वरवीं नोंदणी करूंक शकता.
- उद्यम नोंदणीकरणाची प्रक्रिया पुरायपणान डिजिटलाइज्ड आनी पेपरलेस आसा. कसलेय दस्तावेज अपलोड करपाची आवश्यकता ना.
- नोंदणीकरणाची प्रक्रिया पुरायपणान मोफत आसा. कोणाकूय कसलेच मोल वा फी भरची पडची ना.
- नोंदणीकरणाची प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत “उद्यम नोंदणीकरण प्रमाणपत्र” हें ई-प्रमाणपत्र जारी करतले.
- ह्या प्रमाणपत्रांत एक गतीशील क्यूआर कोड आसा जाचे वरवीं आमच्या पोर्टल वेब पानाचेर आनी उद्देगाच्या तपशीलांचेर प्रवेश करूंक शकतात.
- जरी कोणूय उद्यम नोंदणीकरणांत जाणा जावन चुकीची माहिती दिता वा अद्यावतीकरण प्रक्रिये वेळार, स्वयं-घोशीत केल्लें तथ्य आनी आंकडे लिपोवपाचो प्रयत्न करता, जाल्यार ताका अधिनेमाच्या 27 कलमा खाला निर्दिश्ट केल्ले दंड फावो जावं येता.
- ऑनलायन प्रणाली आयकर आनी वस्तू आनी सेवा कर वळख क्रमांक (जीऍसटीआयऍन) प्रणाली कडेन पुरायपणान जोडिल्ली आसात, उद्देगांची गुंतवणूक आनी एकंदर



उत्पन्नांचो तपशील सरकारी डाटा बेसा वयल्यान आपोआप घेतात. एकंदर उत्पन्नांचो अंदाजीत भाग म्हूण निर्यात घेवचे नात.

- ऍमऍसऍमई मंत्रालया खाला जांका खंयच्याय प्राधिकारिणीन ईऍम-II वा यूऍऍम नोंदणी वा हेर खंयचीय नोंदणी जारी केल्ली आसल्यार, तांका 31.03.2021 पयलीं परती नोंदणी करूंक जाय.
- खंयच्याय उद्देगान एका परस चड खेपे उद्यम नोंदणीकरण करूंक जायना. पूण, निर्मिती वा सेवा वा दोनूय असंख्य कार्यावळी एकाच उद्यम नोंदणीकरणांत निर्दिश्ट करतले वा जोडटले.

नोंदणीकरण खातीर आवश्यकता:

- नोंदणीकरण खातीर फक्त आधार क्रमांक पुरो जातलो.
- 01.04.2021 सावन पॅन आनी जीऍसटी क्रमांक अनिवार्य आसा.

ह्या नोंदणीकरणाचे फायदे:

- तो उद्देगा खातीर कायम स्वरूपी नोंदणी आनी मूलभूत वळख क्रमांक आसतलो.
- ऍमऍसऍमई नोंदणीकरण पेपरलेस आनी स्वयं-घोशणापत्राचेर आदारीत आसा.
- नोंदणीकरणाच्या नुतनीकरणाची आवश्यकता ना.
- निर्मिती वा सेवा वा दोनूय साबार कार्यावळी एकाच उद्यम नोंदणीकरणांत निर्दिश्ट करतले वा जोडटले.
- उद्यम नोंदणीकरण बरोबरच, उद्देग जीईऍम (सरकारी ई-मार्केट प्लेस, जी टू बी खातीर पोर्टल) आनी समाधान पोर्टलचेर (SAMADHAAN) (फारिकणीच्या विलंबा संबंदीत समस्या सोडोवपा खातीर पोर्टल) नोंदणी करूंक शकतात आनी ऍमऍसऍमईच्या 1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in ह्या तीन उपलब्ध प्लॅटफॉर्मां वरवीं स्वता टीआरडीऍस प्लॅटफॉर्माचेर (ह्या प्लॅटफॉर्माचेर प्राप्तीकर्त्याची पावती विकतात) ऑनबोर्ड करूंक शकतात.
- उद्यम नोंदणीकरण ऍमऍसऍमईच्या क्रेडिट गॅरन्टी येवजण, भौशीक अधिप्राप्ती येवजण, सरकारी निविदेत अतिरिक्त शीम आनी विलंबीत फारिकणी खातीर संरक्षण आनी हेर सारक्या ऍमऍसऍमई मंत्रालयाच्या योजनांचो फायदो घेवंक मजत करूंक शकता.
- बँकां कडल्या प्राधान्य क्षेत्र रिणां खातीर पात्र थारता.



प्राधान्य क्षेत्र रीण:

भारतीय रिझर्व बँकेन प्राधान्य क्षेत्र रिणांचीं (पीएसएल) मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. आरबीआयन तांच्या तारीख 04 सप्टेंबर 2020 चें परिपत्रक क्र. आरबीआय/एफआयडीडी/2020-21/72/ मास्टर डायरेक्शन्स एफआयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी. 5/04/09.01/2020-21 वरवीं प्राधान्य क्षेत्र रिणां विशी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. तेनुसार, प्राधान्य क्षेत्रां खाला i) कृषी ii) सूक्ष्म, लघू आनी मध्यम उद्देग, iii) निर्यात कर्ज iv) शिक्षण, v) घरबांदणी, vi) सामाजीक साधन सुविधा, vii) अक्षय ऊर्जा viii) हेर श्रेणी आसात. देखून, एमएसएमई क्षेत्र प्राधान्य क्षेत्र रिणां खाला येता. आरबीआय प्रमाणें, एमएसएमईची व्याख्या “सूक्ष्म, लघू आनी मध्यम उद्देग क्षेत्रा खातीर रीण पुरवण” आनी वेळोवार अद्ययावत केल्ल्या अनुक्रमान तारीख 2 जुलय 2020, आनी 21 ऑगस्ट 2020 चीं परिपत्रकां आरबीआय/2020-2021/10 एफआयडीडी.एमएसएमई आनी एनएफएस.बीसी. क्र. 3/06/02.31/2020-21 तशेंच एफआयडीडी.एमएसएमई आनी एनएफसी.बीसी. क्र. 4/06.02.31/2020-21 सयत वाचिल्ली भारत सरकाराच्या (जीओआय), तारीख 26 जून 2020 ची राजपत्रीत अधिसुचोवणी एस.ओ. 2119 (ई) प्रमाणें आसतली. तशेंच, अशे उद्देगांक खंयच्याय तरेन (विकास आनी नियमन) अधिनेम 1951 तल्या पयल्या परिशिष्टांत नमूद केल्ल्या खंयच्याय उद्देगाकडेन संबंदीत माल निर्मिती आनी उत्पादनाच्या कामांत गुंथिल्ले वा खंयच्योय/खंयचीय सेवा पुरवण वा सादर करपांत गुंथिल्ले आसूंक जाय.

आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें एमएसएमईक आशिल्ली सगळीं बँक रिणां प्राधान्य क्षेत्र रिणां खाला वर्गीकरण खातीर पात्र थारतात.

-----000-----




ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഭാരത സർക്കാരിന്റെ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2020 ജൂൺ 26ലെ ഗസറ്റ്, എക്സ്‌ട്രാ ഓർഡിനറി, പാർട്ട് II, സെക്ഷൻ 3, സബ്‌സെക്ഷൻ (II) പ്രകാരം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നതിനായി നിക്ഷേപവും വിറ്റുവരവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു സമ്മിശ്ര മാനദണ്ഡം 2020 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.

പുതിയ നിർവചനത്തിനു അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും 'ഇറാസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്' പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനായി സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥിരം രജിസ്ട്രേഷനു - ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ - രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- സംരഭം തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm> എന്ന പോർട്ടലിലൂടെ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
- ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലും പേപ്പർ രഹിതവുമാണ്. ഇതിനായി യാതൊരു രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
- രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. ഇതിനായി മറ്റു ചെലവുകളോ ഫീസോ ആർക്കും നൽകേണ്ടതില്ല.
- രജിസ്ട്രേഷൻ ശേഷം “ഉദ്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്” എന്ന ഇ-സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
- ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള ക്യു .ആർ കോഡ് വഴി പോർട്ടലിന്റെ വെബ് പേജിലൂടെ സംരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകും.
- ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയത്തോ , അതിന്റെ അപ്‌ഡേഷന്റെ സമയത്തോ , മനഃപൂർവ്വം വിവരങ്ങൾ



തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങൾ മറച്ചു അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആക്ടിന്റെ 27 -ആം സെക്ഷൻ പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരുന്നതാണ്.

- ഈ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം ഇൻകം ടാക്സും ചരക്കു സേവന തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുമായും (GSTIN) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സംരംഭത്തിന്റെ നിക്ഷേപത്തിന്റെയും വിറ്റുവരവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി എടുക്കുന്നതാണ്. കയറ്റുമതി ഒഴിവാക്കി ആകും സംരംഭത്തിന്റെ വിറ്റുവരവ് കണക്കാക്കുന്നത്.
- ഇ.എം പാർട്ട് II വോ ഉദ്യോഗ് ആധാർ രജിസ്ട്രേഷനോ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിലവിലുള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും 31 മാർച്ച് 2021 നു മുൻപായി ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻപോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- ഒരു സംരംഭം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുവാൻ പാടില്ല . ഒരു ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിർമാണം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന എത്ര സംരംഭങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതോ ആണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

- ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുവാൻ ആധാർ നമ്പർ മതി.
- 01.04.2021 മുതൽ പാനും ജി.എസ്.ടി. നമ്പറും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ നിർബന്ധമാണ്

രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

- ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ സ്ഥിരം രജിസ്ട്രേഷനും അടിസ്ഥാന തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുമായിരിക്കും.
- എം.എസ്.എം.ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും പേപ്പർ രഹിതവും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ



അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്.

- രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കേണ്ടതില്ല.
- ഒരു ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിർമാണം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന എത്ര പ്രവർത്തികൾ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതോ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതോ ആണ്.
- ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടാതെ സംരംഭങ്ങൾക്കു GeM (ഗവണ്മെന്റ് ഇ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്), എം.എസ്.എം.ഇ സമാധാൻ പോർട്ടലിലും (സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നൽകിയ വകയിൽ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ) അതോടൊപ്പം ട്രേഡ്സ് (സാധനം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം ക്രെഡിറ്റിൽ വിറ്റതിനുള്ള ഇൻവോയ്സുകളുടെ ട്രേഡിംഗിന് അതായതു ട്രേഡ് റീസിമ്പൽസിനു വേണ്ടിയുള്ളത്) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും (1. www.invoicemart.com; 2. www.m1xchange.com; 3. www.rxil.in) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
- ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ എം.എസ്.എം.ഇ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതികളായ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം, പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പോളിസി (പൊതു സംഭരണ നയം) എന്നിവയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ഗവണ്മെന്റ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇളവുകളും പ്രതിഫലം വൈകുന്നതിന് എതിരെയുള്ള സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നു.
- മുൻഗണന മേഖല വായ്പകൾക്കായുള്ള പരിഗണനയും ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു.

മുൻഗണന മേഖല വായ്പ സഹായം


മുൻഗണന മേഖല വായ്പകൾക്കായുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശകരേഖകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ(RBI) ആണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. 2020 സെപ്റ്റംബർ 4 ആം തീയതിയിലെ RBI സർക്കുലർ നമ്പർ RBI/FIDD/202021/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന കാറ്റഗറികൾ ആണ് മുൻഗണന വിഭാഗങ്ങൾ ആയി പരിഗണിക്കുന്നത് 1) കാർഷിക മേഖല, 2) സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട



ഇടത്തരം സംരഭങ്ങൾ, 3) കയറ്റുമതി വായ്പ, 4) വിദ്യാഭ്യാസം 5) പാർപ്പിടം, 6) സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, 7) പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം(Renewable energy), 8) മറ്റുള്ളവ. അതിനാൽ എം.എസ്.എം.ഇ സെക്ടർ മുൻഗണന മേഖല വായ്പ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ്. ആർ.ബി.ഐ യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം എം.എസ്.എം.ഇ കളുടെ നിർവചനം ഭാരത സർക്കാരിന്റെ 2020 ജൂൺ 26-ആം തീയതിയിലെ ഗസറ്റ് നോട്ടീഫിക്കേഷൻ നമ്പർ S.O. 2119 (E), RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME, NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21, NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21, സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരഭങ്ങളുടെ വായ്പനയം സംബന്ധിച്ച 2020 ജൂലൈ 2 -ആം തീയതിയിലെ സർക്കുലർ FIDD.MSME ഉം ഓഗസ്റ്റ് 21 ആം തീയതിയിലെ സർക്കുലർ NFS.BC. No.4/6.02.31/2020-21(കാലാനുസൃതമായ പുതുക്കപ്പെടലുകളോടെ) പ്രകാരമായിരിക്കും. അത്തരം എം.എസ്.എം.ഇകൾ നിർമ്മാണ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ ഉത്പാദന മേഖല (ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആക്ട് 1951 ലെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ സേവന മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാർഗ നിർദ്ദേശകരേഖകൾക്കു അനുസൃതമായി എല്ലാ എം.എസ്.എം.ഇ ബാങ്ക് ലോണുകളും മുൻഗണന മേഖല വായ്പ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷന് യോഗ്യമാണ്.

-----000-----



উদ্যম রেজিষ্ট্ৰেচন তৌবগী কান্নবা

ভারত সরকারগী মিনিষ্ট্ৰি ওফ মাইক্রো, স্মোল এণ্ড মেডিয়ম এন্টৰপ্ৰাইজেসনা ইং ২০২০গী জুন ২৬তা থোকখিবা গেজেট ওফ ইন্দিয়া, এক্সট্ৰাওৰ্ডিনরি, পাট-টু, সেক্সন-৩, সব-সেক্সন(ii) না ইনভেষ্টিমেন্ট অমসুং টৰ্নওভৰ অনীমক ক্ৰাইটেৰিয়া ওইনা যাওবা, কম্পেপাজিট ক্ৰাইটেৰিয়া অমনা এন্টৰপ্ৰাইজেসশিংবু মাইক্রো, স্মোল অমদি মেডিয়ম হায়না তোঙান-তোঙান্না খায়দোক্ৰুবা, ইং ২০২০গী জুলাইগী অহানবা নুমিৎতগী চৎনহনবা হৌনবা খঙহনখি।

এমঃএসঃএমঃই গী অনৌবা আইনশিংগা চুননবা অমদি লল্লোন-ইতিক তৌবদা লায়হন্নবগীদমক, মসিগী সিস্টেম অসিনা এমঃএসঃএমঃইঃ শিংবু পাৰ্মনেণ্ট রেজিষ্ট্ৰেচন, হায়বদি, “উদ্যম রেজিষ্ট্ৰেচন” তৌবদা খুদোং চাহল্লগনি।

মৰুওইবা রাফমশিংঃ

- কনাগুস্বা অমা হেজ্জনা মহাক্কী এন্টৰপ্ৰাইজ অদুগীদমজ্ঞা উদ্যম রেজিষ্ট্ৰেচন তৌবা য়াগনি। মসি <https://udyamregistration.gov.in/Governemnt-India/Ministry-MSME-registration.htm> পোৰ্টেলগী খুথাংদা তৌবা য়াই।
- উদ্যম রেজিষ্ট্ৰেচন তৌবা অসি মপুং ফানা দিজিটেলাইজ তৌই অমদি পেপৰলেসনি। চে-চাং অমত্তা উপলোদ তৌবগী মখৌ তাদে।
- রেজিষ্ট্ৰেচন তৌবদা শেল চঙদে। কনা অমত্তা মমল নত্ৰুগা ফি পীৰোইদবনি।
- রেজিষ্ট্ৰেচনগী খবক লোইরবা মতুংদা ওনলাইন ওইনা ‘উদ্যম রেজিষ্ট্ৰেচন সার্টিফিকেট’ কৌবা ই-সার্টিফিকেট অমা ইসু তৌরক্ৰনি।
- ঐখোয়গী পোৰ্টেলদা লৈরিবা বেব পেজ অমসুং এন্টৰপ্ৰাইজ অদুগী অকুপ্পা মরোল অদু খঙবা য়াবা দাইনামিক ক্লুআৰ কোদ অমা সার্টিফিকেট অসিদা য়াওরি।
- কনাগুস্বা অমনা তৌগে য়াওনা মতুং শিনবা নত্ৰুগা মহাক্কা চুল্লে হায়না উদ্যম রেজিষ্ট্ৰেচন নত্ৰুগা অপদেসনগী খবজ্ঞা ফোঙদোকচরিবা ব্ৰাৰোল অদু নাথৈনবা হোৎনরবদি, এক্ট অসিগী সেক্সন ২৭কী মতুং ইন্না চৈরাক ফংগনি।
- ওনলাইন সিস্টেম অসি ইনকম টেক্স অমসুং গুদস এণ্ড সার্ভিসেস য়েক্স আইডেন্টিফিকেসন নম্বৰ (জিঃএসঃটিঃআইঃএন) সিস্টেমগা মপুং ফানা শম্লে, এন্টৰপ্ৰাসজ অদুগী ইনভেষ্টিমেন্ট অমসুং টৰ্নওভৰ অদুগী অকুপ্পা মরোল অদু সরকারগী দেটাবেজদগী মশা মথল্লা চিংখৎটে। টৰ্নওভাৰ হোৎপদা এক্সপোর্টশিং য়াওদে।
- EM-II নত্ৰুগা UAM রেজিষ্ট্ৰেচন লৈবা নত্ৰুগা মিনিষ্ট্ৰি ওফ এমঃএমঃএমঃইঃ গী ওখোরিট অমা হেজ্জনা ইসু তৌবা রেজিষ্ট্ৰেচন লৈরবদি, মখোয়শিং অদু ইং ২০২১গী মাৰ্চকী তাং ২১ মমাংদা অমুক হন্না রেজিষ্ট্ৰ তৌগদবনি।
- এন্টৰপ্ৰাইজ অমনা উদ্যম রেজিষ্ট্ৰেচন অমদগী হেন্না তৌবা য়ারোই। তৌবতবু, মেন্যুফেক্চরিং নত্ৰুগা সার্ভিস নত্ৰুগা অনীমক রেজিষ্ট্ৰেচন অমদা উৎপা য়াই।

রেজিষ্ট্ৰেচন তৌবদা চঙবশিংঃ

- রেজিষ্ট্ৰেচন তৌবদা আধাৰ নম্বৰ খক্তমক চঙই



- ইং ২০২১ গী অপ্রিল ১দগী PAN অমসুং GST নম্বর অসি শুকশোয় শোয়দনা যাওগদবনি

রেজিষ্ট্রেশন অসিগী কালবশিং

- মসি পার্মনেণ্টে রেজিষ্ট্রেশনী অমসুং এন্টরপ্রাইজ অমগী আইদেণ্টিফিকেশন নম্বরনি।
- এমঃএসঃএমঃইঃ রেজিষ্ট্রেশন অসি পেপললেসনি অমদি সেফ-দিক্লরেশনদা যুস্ফম ওই।
- রেজিষ্ট্রেশন রিনিউএল তৌবগী মথৌ তাদে।
- মেন্যুফেকচারিং নত্ৰগা সার্ভিস নত্ৰগনা অনীমক যাওনা এক্তিভিটি কয়ামরুম রেজিষ্ট্রেশন অমখত্ৰদা হাপচিনবা য়াই।
- উদ্যম রেজিষ্ট্রেশনগী লোয়ননা, এন্টরপ্রাইজ অদু GeM (Government e-market place, a portal for G to B) অমসুং SAMADHAN পোর্টেল (পেমেন্ট তৌবদা থিহুবগা মরী লৈনবা ইসুশিং কোকহন্নবা পোর্টেল অমা) দা রেজিষ্ট্রেশন তৌবা য়াই অমদি মসিগা লোয়ননা এমঃএসঃএমঃইঃশিং অদুনা, লৈরিবা প্লেটফোর্ম অহুম, হায়বদি, 1. www.invoicemart.com, 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in, খুথাংদা TReDS Platform দা মতম অমত্ৰদা যাওবা য়াই।
- উদ্যম রেজিষ্ট্রেশন অসিনা মিনিষ্ট্রি ওফ এমঃএসঃএমঃইঃ গী ক্রেডিট গেরেণ্টি স্কিম, পব্লিক প্রোক্যোরমেন্ট পোলিসি, এডিস্লেস এদজ ইন গভর্নমেন্ট টেন্ডর্স এণ্ড প্রোটেক্শন এজেন্সি দিলেদ পেমেন্ট নচিংবা স্কিমশিংগী কালবা এমঃএসঃএমঃইঃ শিংদা ফংহনবদা মতেং পাংবা য়াই।
- বেঙ্কশিংগী প্রাইওরিটি সেক্টর লেণ্ডিং অমা ওইরকপদসু ইলিজিবল ওইহল্লি।


প্রাইওরিটি সেক্টর লেণ্ডিং

প্রাইওরিটি সেক্টর লেণ্ডিং (পিঃএসঃএল) গী গাইদলাইনশিং অসি রিজর্ভ বেঙ্ক ওফ ইন্দিয়ানা ইসু তৌবনি। আরঃবিঃআইঃ না ইং ২০২০গী সেপ্তেম্বর ৪দা থোপা সার্কুলর নম্বর RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 গী মতুং ইন্না প্রাইওরিটি সেক্টর লেণ্ডিংগী গাইদলাইনশিং ইসু তৌখি। মসিগী মতুং ইন্না, প্রাইওরিটি সেক্টরগী মখাদা লৈবা কেটাগোরিশিং অদুদি (ক) এগ্রিকলচার (খ) মাইক্রো, স্মোল অমসুং মেডিয়ম এন্টরপ্রাইজেস (গ) এক্সপোর্ট ক্রেডিট (ঘ) ইজুকেশন (ঙ) হাউসিং (চ) সোসিয়েল ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ছ) রিনিউএবল ইনার্জি (জ) অতৈ-অতৈ নি। মরম অদুনা, এমঃএসঃএমঃইঃ সেক্টর অসি প্রাইওরিটি সেক্টর লেণ্ডিংগী মনুং চল্লে। আরঃবিঃআইঃ গী মতুং ইন্না, ভারত সরকারগী মতুং ইন্না এমঃএসঃএমঃইঃ গী রান্ধোক অসি গেজেট নোটিফিকেশন S.O.2119 (E) dated June 26, 2020, সার্কুলর RBI/2020-2021/10FIDD.MSME & NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21, dated July 2, 2020 অমসুং FIDD.MSME&NFS. BC. No.4/06.02.31/2020-21 dated August 21, 2020 অসিদা য়েংদুনা, 'Credit flow to Micro, Small & Medium Enterprises Sector' দা অমদি মতম মতমগী উপদেট তৌরি। মখা তানা, অসিগুম্বা এমঃএসঃএমঃইঃ অসি মেন্যুফেকচার নত্ৰগা প্রদক্শন ওফ গুদস, মওং অমদা হেত্ৰা, ইন্ডস্ট্রি (ডিভেলপমেন্ট এণ্ড রিগুলেসন) এক্ট, ১৯৫১গী ফার্ট সেদুলাদা পল্লিবা অদুগা মরী লৈননা, নত্ৰগা, সার্ভিস নত্ৰগা সার্ভিসশিং অমা হেনত্ৰা পীবা নত্ৰগা ফংহনবদা থবক তৌবা।



এমঃএসঃএমঃইঃ শিংদা পীরিবা বেঙ্ককী লোনশিং অসি আরঃবিঃআইঃ গী গাইদলাইনশিং
অদুগা চুনা প্রাইওরিটি সেক্তর লেপ্তিংগী মনুং চন্না পীবনি ।

-----000-----




उद्योग नोंदणी करण्याचे फायदे

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्गमित राजपत्र, असाधारण, भाग - २, कलम-३, उप-कलम (ii) च्या दिनांक २ जून, २०२० नुसार, १ जुलै, २०२० पासून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणून उपक्रमांचे वर्गीकरण करण्यासाठी निकष म्हणून गुंतवणूक आणि टर्नओवर या दोन्ही घटकांचा एक संयुक्त निकष अधिसूचित केलेला आहे.

एमएसएमईची नवीन ओळख करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ करण्याकरीता ही प्रणाली कायम नोंदणीसाठी म्हणजेच ' उद्योग नोंदणी ' साठी एमएसएमईला मदत करेल.

उद्योग नोंदणीची ठळक वैशिष्ट्ये:

- * <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm> या पोर्टलवर उद्योग चालू केल्यानंतर स्वयंघोषणेने कुणालाही उद्योगाची नोंदणी करता येईल.
- * उद्योग नोंदणीची ही प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल आणि पेपरलेस आहे. इथे कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
- * उद्योग नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य आहे. उद्योग नोंदणी करण्याकरीता कोणतेही खर्च किंवा फी कोणालाही द्यायची नाही आहे.
- * ई-प्रमाणपत्र, " उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र", नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ऑनलाईन दिले जाईल.
- * या प्रमाणपत्रात डायनॅमिक क्यूआर कोड आहे, ज्यातून आमच्या पोर्टलवरील वेब पृष्ठ आणि एंटरप्राइझविषयी तपशील मध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो.
- * उद्योग नोंदणी किंवा अद्ययावत प्रक्रियेमध्ये स्वतः ची घोषित केलेली तथ्ये आणि आकडेवारी चुकीची प्रतिनिधित्व केली किंवा दडपली तर ते कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या दंडास पात्र ठरेल.
- * ऑनलाईन प्रणाली आयकर, वस्तू आणि सेवा कर ओळख क्रमांक (जीएसटीआयएन) प्रणालीमध्ये पूर्णपणे समायोजित आहे. गुंतवणूक आणि उद्योजकांच्या उलाढालीचा तपशील आपोआप सरकारी डेटा बेसमधून घेतला जातो. निर्यातीचा टर्नओवर हा टर्नओवर गणनेत समाविष्ट होणार नाही.




- * ज्यांची ईएम-२ किंवा यूएएम नोंदणी आहे किंवा एमएसएमई मंत्रालयांतर्गत कोणत्याही प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेली इतर नोंदणी आहे, त्यांना 31.03.2021 पूर्वी वरील पोर्टल वर स्वतः ची पुन्हा उद्योग नोंदणी करावी लागेल.
- * कोणताही उद्योग एकापेक्षा जास्त उद्यम नोंदणी दाखल करू शकत नाही. तथापि, उत्पादन, सेवा किंवा दोन्ही नोंदणीमध्ये जोडली जाऊ शकते.

उद्योग नोंदणीकरीता आवश्यक कागदपत्रे:

- * नोंदणीसाठी फक्त आधार क्रमांक पुरेसा आहे.
- * 01.04.2021 पासून पॅन व जीएसटी क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.

उद्योग नोंदणीचे फायदे:

- * उद्योगाची ही कायमची नोंदणी आणि मूलभूत ओळख क्रमांक असेल.
- * एमएसएमई नोंदणी कागदविरहित आणि स्व-घोषणेवर आधारित आहे.
- * नोंदणी नूतनीकरण करण्याची गरज नाही.
- * मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिस किंवा दोन्ही प्रकारच्या नोंदणी एकाच नोंदणीत जोडल्या जाऊ शकतात.
- * उद्योग नोंदणीबरोबरच उद्योग जेएम (GeM) (शासकीय ई-मार्केट प्लेस, जी टू बीचे पोर्टल) आणि समाधान (SAMADHAAN) पोर्टलवर (देयकामध्ये विलंब संबंधित मुद्द्यांकडे लक्ष देणारे पोर्टल) नोंदणी करू शकतात आणि त्याचबरोबर स्वतः एमएसएमईदेखील ट्रेड्स (TReDS) ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. "www.inoicement.com, www.m1xchange.com आणि www.rxil.in" या तीन उपलब्ध व्यासपीठांद्वारे प्लॅटफॉर्म, (या प्लॅटफॉर्मवर रिसीव्ह करण्यायोग्य पावत्याची खरेदी-विक्री केली जाते).
- * भारत सरकार व राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उद्योग नोंदणी आवश्यक आहे. एमएसएमईना क्रेडिट गॅरंटी योजना, सार्वजनिक खरेदी धोरण, सरकारी निविदांमधील अतिरिक्त कडा आणि विलंब झालेल्या देयकाविरुद्ध संरक्षण इत्यादी एमएसएमईच्या योजनांचा लाभ मिळविण्यात मदत करू शकते.
- * प्राधान्य क्षेत्रातील बँकांचे कर्जासाठी पात्र ठरेल.




अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज:

प्राधान्य सेक्टर लेन्डिंग (पीएसएल) मार्गदर्शक तत्त्वे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्गमित केलेले आहे. आरबीआयने प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना परिपत्रक क्र. RBI/FIDD/2020-21/72 नुसार निर्गमित केलेले आहे. मास्टर दिशानिर्देश FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 दिनांक सप्टेंबर 04, 2020 जारी केली आहे. तदनुसार, प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत श्रेणी आहेत (i) शेती (ii) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम (iii) निर्यात पत (iv) शिक्षण (v) गृहनिर्माण (vi) सामाजिक पायाभूत सुविधा (vii) नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा (viii) इतर. म्हणूनच, एमएसएमई क्षेत्र प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या अंतर्गत येते. आरबीआयनुसार, एमएसएमईची व्याख्या भारत सरकार (भा.स.) नुसार गॅझेट नोटिफिकेशन S.O. 2119(E) दिनांक 26 जून, 2020 सह वाचा व परिपत्रक क्रमांक RBI/2020-202110FIDD.MSME आणि NFS.BC.No./06.02.31/2020-21 रोजी दिनांक 2 जुलै, 2020, 21 जुलै, 2020 'क्रेडिटफ्लोडु सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम क्षेत्र 'आणि वेळोवेळी अद्यावत केले जातात. अशा प्रकारच्या एमएसएमई वस्तूंच्या उत्पादन किंवा उत्पादनात, कोणत्याही प्रकारे उद्योग (विकास आणि नियमन) अधिनियम 1995 च्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही उद्योगाशी संबंधित किंवा कोणत्याही सेवा किंवा सेवा प्रदान करण्यात किंवा प्रस्तुत करण्यात गुंतलेल्या असाव्यात.

आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणा-या एमएसएमईना दिलेली सर्व बँक कर्जे प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या अंतर्गत वर्गीकरणासाठी पात्र आहेत.

-----0000-----



उद्यम पंजीकरण प्राप्तिसे लाभ

भारत सरकारक सूक्ष्म, लघु आ सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योग मध्यम उद्योग कोटिक मंत्रालय भारतीय गजटक अनुसार, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-2, तिथि 26 जून, 2020 सूचनार्थ एक समेकित मानदण्ड निर्धारित करैत अछि जे निवेश एवं निश्चित समयावधिक बीच कुल बिक्री, यथा-सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योगक वर्गीकरण, जे 1 जुलाई, 2020 सँ कार्यान्वित करैछ।

सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योग (MSME) क नव परिभाषा आ' व्यवसायक कार्यप्रणाली लेल स्थायी पंजीकरण, जेना 'उद्यम पंजीकरण' क विशेषताक जानकारी अपेक्षित।

मुख्य विशेषता-


- कोनहुँ व्यक्ति उद्यम पंजीकरण लेल आवेदन कय सकैत छथि। मुदा हिनका निर्धारित पोर्टल <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm> क माध्यमे पंजीकृत होएब आवश्यक।
- उद्यम पंजीकरणक प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल संकेत पर केन्द्रित आ' कागज रहित होएत। कोनहुँ प्रकारक दस्तावेज संलग्न करबाक आवश्यकता नहि रहत।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क छैक। मूल्य वा शुल्क दातब्य नहि रहत।
- एक ई-प्रमाणपत्र 'उद्यम प्रजीकरण प्रमाणपत्र' निर्गत कएल जाएत, 'आन' लाइन पंजीकरण प्रक्रिया संपन्न भेलापर।
- एहि प्रमाण पत्र में एक गतिशील क्यू आर कोड पोर्टलक वेब पेजपर रहत आ' उद्योगक प्रसंग सविस्तार सूचना देत।
- जे व्यक्ति जानि बूझिकेँ अनुचित विचार अथवा स्वघोषणाक सत्यापनक विश्लेषणमे भ्रामक आ' अंकक प्रस्तुतिमे उद्योग पंजीकरण अथवा अद्यतन सूचनाक प्रक्रियामे त्रुटि करताह, धारा 27 क अधीन दण्डित भ सकैत छथि।
- ऑनलाइन प्रक्रिया आयकरक संग पूर्णतः एकीकृत रहत तथा वस्तु एवं सेवाकर पहचान नम्बर (GSTIN) प्रणाली, निवेश आ' निश्चित समयावधिक बीच कुल बिक्रीक स्वाभाविक प्रक्रिया सरकारक डाटाबेस पर आधारित रहत। निर्यातक टर्न ओवरक गणनामे परिगणित नहि होएत।
- जे व्यक्ति ईएम-2 (EM-II) अथवा यूएम (UAM) सँ पंजीकरण कराय चुकल छथि अथवा कोनहुँ अन्य पंजीकरण, जे MSME मंत्रालयसँ अधिकृत अछि, ताहि व्यक्तिकेँ 31.03.2021 धरि पुनः पंजीकृत होएब आवश्यक रहत।
- कोनहुँ उद्योग केन्द्र एक उद्यम पंजीकरणसँ बेसीकेँ सूचीबद्ध नहि कराय सकैत छथि। कोनहुँ गतिविधिक प्रक्रिया-निर्माण वा सेवा अथवा दुनू विशेष रूपेँ व्यक्त रहत अथवा एकहि पंजीकरणमें जोड़ल जाएत।

पंजीकरण लेल अपेक्षित-

- मात्र आधार नम्बर पंजीकरण लेल पर्याप्त अछि।
- PAN आ' GST नम्बर अत्यावश्यक अछि, 01.04.2021 सँ।

पंजीकरणसे लाभ -

- ई स्थायी पंजीकरण छैक, जकर मूल पहचान नम्बर एक उद्योग लेल रहत।
- MSME पंजीकरण कागज रहित आ' स्वघोषणा पर आधारित छैक।
- पंजीकरणक नवीनीकरण अपेक्षित नहि रहत।
- उद्योगक गतिविधिक संख्या वा सेवा अथवा दुनू व्यक्त रहत, एकहि पंजीकरणमे संगहि होएत।




- उद्यम पंजीकरण, उद्योग GeM (Government e-Market Place, a portal for G to B) एवं SAMADHAN पोर्टल (a portal to address issues relating to delay in payments) आ' एकर संग MSME स्वाभाविक रूपेँ TReDS प्लेटफार्म (the invoices of receivables are traded on this platform) तीन उपलब्ध मंच जेना 1. www.invoicemart.com, 2. www.mlxchange.com, 3. www.Rxil.in) पर केन्द्रित रहत ।
- उद्यम पंजीकरण मंत्रालयक MSME सँ सम्बद्ध लाभकारी योजना, जेना क्रेडिट गारंटी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, संगहि विलम्बित भुगतान लेल सरकारी निविदा एवं सुरक्षाक प्रावधान रहत ।
- प्राथमिकता क्षेत्रक लेल बैंक द्वारा विशेष लाभकारी होएत ।

ऋण प्राप्तिक प्राथमिक क्षेत्र –

ऋण वा उधार देबाक प्राथमिकता (PSL) लेल भारतीय रिजर्व बैंकक दिशा निर्देश प्राप्त छैक जे पत्रांक RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO Plan. BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020 द्वारा कमशः निम्नलिखित कोटिमे प्रमुखता देत –(1)कृषि, (2) सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योग, (3) निर्यात ऋण, (4) शिक्षा, (5) गृह, (6) सामाजिक संरचना, (7) नवीकरणीय उर्जा, (8) अन्य, जे MSME ऋण प्राप्तिक प्राथमिक क्षेत्रमे छैक ; गजट सूचना संख्या S.O. 2119(E) dated June 26, 2020 read with circular RBI/2020-2021/10 FIDD.MSME & NFS BC. No.3/06.02.31,2020-21 read with FIDD.MSME& NFS.BC No. 4/06.02.31/2020-21 dated July2, 2020, August 21, 2020 कमशः सूक्ष्म, लघु आ' मध्यम उद्योगक क्रेडिट प्रवाह समय समय पर अद्यतन सेहो अपेक्षित, तत्काल MSME उद्योग आ' उत्पाद लेल वस्तुक निर्यातमे सहायक, कार्यप्रणाली, संबंधित औद्योगिक, विशेषतः प्रथम सूचीक उद्योग (विकास आ' नियमन) धारा 1951 आ' प्रदान करबामे लागल वा कोनहुँ सेवाक प्रतिपादन लेल सभ बैंकक ऋण MSME क सम्पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) क दिशा निर्देशक पालन कय पूर्वमे तकर स्पष्टीकरण देब आवश्यक ।

-----000-----



उद्यम पञ्जीकरण लिनुका फाइदाहरू

भारत सरकारको सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मन्त्रालयले भारतको राजपत्र, असाधारण, भाग- II, अनुभाग -3, उप-धारा (ii), मिति 26 जून, 2020 मा दुवै निवेश र कारोबारलाई समग्र मानदण्डको रूपमा अधिसूचित गरेको छ, जसमा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमका रूपमा उद्यमहरूलाई वर्गीकृत गरेर 1 जुलाई, 2020 देखि प्रभारी बनाएको छ।

एमएसएमईको नयाँ परिभाषालाई सुनिश्चित गर्न र व्यवसायलाई सहज बनाउनका लागि यो प्रणालीले एमएसएमईलाई स्थायी पञ्जीकरण अर्थात् 'उद्यम पञ्जीकरण'-मा सहयोग प्रदान गर्नेछ।

मुख्य विशेषताहरू:

- कसैले पनि उद्यम शुरु गर्नका लागि उद्यम पञ्जीकरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसलाई पोर्टलको माध्यमद्वारा पञ्जीकृत गर्न सकिनेछ अर्थात् <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm>
- उद्यम पञ्जीकरणको प्रक्रिया पूर्णरूपले डिजिटलाइज्ड तथा पेपरशून्य रहेको छ। कुनै पनि दस्तावेजलाई अपलोड गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।
- पञ्जीकरण प्रक्रिया पूर्णरूपले निःशुल्क रहेको छ। कसैलाई कुनै लागत वा शुल्क भुक्तान गर्नु पर्दैन।
- पञ्जीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि एक ई-प्रमाण पत्र, जसको नाम "उद्यम पञ्जीकरण प्रमाणपत्र" अनलाइनमार्फत जारी गरिनेछ।
- यो प्रमाण पत्रमा एक गतिशील क्यूआर कोड हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो पोर्टलमा वेब पेज र उद्यमको बारेमा विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ।
- जब कसैले जानीबुझी गलत बयान दिन्छन् वा उद्यम पञ्जीकरण वा अद्यावधिक प्रक्रियामा देखिने स्व-घोषित तथ्य तथा आँकडालाई दबाउने प्रयास गर्दछन् भने उनी अधिनियमको धारा 27 अन्तर्गत तोकिएको दण्डका लागि जिम्मेवार हुनेछन्।
- अनलाइन प्रणाली पूर्णरूपले आयकर र वस्तु एवं सेवा कर पहिचान संख्या (जीएसटीआईएन) प्रणालीको साथ एकीकृत छ, उद्यमहरूको निवेश तथा कारोबारमा विवरण स्वचालित रूपले सरकारी डेटा आधारमा लिन सकिनेछ। निर्यातलाई कारोबार गणनाको हिस्साको रूपमा



लिइनेछैन।

- जोसित ईएम-II वा यूएम पञ्जीकरण वा एमएसएमई मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै पनि योग्य प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको कुनै अन्य पञ्जीकरण छ भने उनीहरूले 31.03.2021 भन्दा पहिला नै आफूलाई पुनः पञ्जीकृत गर्नुपर्नेछ।
- कुनै पनि उद्यमले एकभन्दा अधिक उद्योग पञ्जीकरण गर्नु पाउनेछैन। यद्यपि, विनिर्माण वा सेवा वा दुवैसहित कुनै पनि गतिविधिहरूमा एक पञ्जीकरणमा निर्दिष्ट वा जोड्न सकिनेछ।

पञ्जीकरणका लागि आवश्यकता:

- पञ्जीकरणका लागि केवल आधार नम्बर नै पर्याप्त हुनेछ।
- पैन र जीएसटी नम्बर 01.04.2021 देखि अनिवार्य हुनेछ।

यो पञ्जीकरणका फाइदाहरू:

- यो एक उद्यमका लागि स्थायी पञ्जीकरण र बुनियादी पहिचान संख्या हुनेछ।
- एमएसएमई पञ्जीकरण पेपरशून्य र स्व-घोषणामा आधारित छ।
- पञ्जीकरण नवीनीकरण गर्न कुनै आवश्यकता हुने छैन।
- विनिर्माण वा सेवा वा दुवैसहित कुनै पनि गतिविधिहरू एक पञ्जीकरणमा निर्दिष्ट वा जोड्न सकिनेछ।
- उद्यम पञ्जीकरणको साथमा उद्यमले स्वयंलाई जीईएम (सरकारी ई-मार्केट स्थान, जी देखि बी-का लागि एक पोर्टल) र समाधान पोर्टल (भुक्तानमा विलम्बसित सम्बन्धित समस्याहरू समाप्त गर्नका लागि एक पोर्टल)-मा पञ्जीकरण गर्न सक्नेछ अनि साथै एमएसएमई स्वयं टीआरडीएस (TReDS) प्लेटफार्मामा पनि अनबोर्ड गर्न सक्नेछन् अनि तीन उपलब्ध प्लेटफार्म अर्थात् 1.www.invoicemart.com 2.www.m1xchange.com 3.www.rxil.in "(प्राप्तिहरूको चालानको कारोबार गर्न सकिने एक प्लेटफार्म) मा दर्ता गर्न सक्नेछन्।
- उद्यम पञ्जीकरणले एमएसएमई मन्त्रालयका योजनाहरूबाट लाभ उठाउनमा एमएसएमईलाई सहयोग गर्दछ, जस्तै क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी निविदाहरूमा अतिरिक्त बढत र विलम्ब गरी भुक्तानविरुद्ध संरक्षण आदि।
- ब्यांकहरूबाट प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्रमा ऋण दिनका लागि पात्र बन्न सकिनेछ।



प्राथमिकता क्षेत्र ऋणः

भारतीय रिजर्व ब्यांकद्वारा प्राथमिकता क्षेत्रको उधार (PSL) दिशानिर्देश जारी गरिन्छ। आरबीआईले आफ्नो परिपत्र संख्या RBI/FIDD/2020-21/72 को मास्टर दिशा-निर्देश FIDD.CO.PCO.BC.5/04.09.01/2020-21 मिति 04 सितम्बर, 2020 मा जारी गरेको छ। प्राथमिकता क्षेत्र अन्तर्गत (i) कृषि (ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (iii) निर्यात ऋण (iv) शिक्षा (v) आवास (vi) सामाजिक अवसंरचना (vii) नवीकरणीय ऊर्जा (viii) अन्य हुन्। यसैले, एमएसएमई क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र उधार अन्तर्गत आउँछ। आरबीआई अनुसार, एमएसएमईको परिभाषा भारत सरकार (जीओआई)-को राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2119 (ई) मिति 26 जून, 2020 को परिपत्र आरबीआई/2020-2021/10 एफआईडीडी.एमएसएमई र एनएफएस.बीसी सं.3/06.02.31/2020-21 को साथै एफआईडीडी.एमएसएमई अनि एनएफएस. बीसी. सं.4/06.02.31/2020-21 मिति 2 जुलाई, 2020, 21 अगस्त, 2020 क्रमशः 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाह' अनुसार तथा समय-समयमा अद्यतन गरिए अनुसार छ। यस अतिरिक्त, यस्ता एमएसएमईलाई वस्तुको निर्माण वा उत्पादनमा कुनै पनि तरिकाले उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 को पहिलो अनुसूचीमा निर्दिष्ट कुनै पनि उद्योगसित सम्बन्धित हुनुपर्छ वा कुनै सेवा वा सेवाहरू प्रदान गर्ने वा प्रदान गर्नमा लागि रहनुपर्नेछ।

आरबीआईका दिशानिर्देशहरू अनुरूप एमएसएमईलाई सबै ब्यांक ऋण प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र ऋण अन्तर्गत वर्गीकरणका लागि योग्यता प्राप्त गर्दछ।

-----000-----



ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇବାର ପାଇଦା

ଅଣ୍ଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର, ଭାରତର ଗେଜେଟ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଭାଗ-୨, ଧାରା-୩, ଉପଧାରା(ଖ) ତା୨୭ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିଭାଗୀକରଣ ପାଇଁ, ଉଭୟ ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ / କାରବାରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ମାନଦଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦ ରୁ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଆସିଛି ।

ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ (ଅଣ୍ଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ) ର ନୂଆ ସଂଜ୍ଞାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ସୁଗମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହାର ନାମ 'ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ'

ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ । ଏଡ଼ିଟିପିଏସ୍: //ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ . ଗଭ୍ . ଇନ୍ / ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ-ଇଣ୍ଡିଆ/ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି-ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ.ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ.ଏଡିଟିଏମ୍ (https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm) ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇପାରିବ ।
- ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ (ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ଡ) ଏବଂ କାଗଜ-ରହିତ (କାଗଜଶୂନ୍ୟ) । କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍) ଅପ୍ଲୋଡ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
- ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେୟମୁକ୍ତ । କାହାକୁ କିଛି ଦାମ୍ ବା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ ।
- ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ “ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର” (ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ନାମକ ଏକ ଇ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଇ-ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ଅନୁଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ ।
- ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍)ରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆମ ପୋର୍ଟାଲର ଡେବ୍ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିହେବ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିହେବ ।
- କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ ବା ଅବ୍ୟତନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ୍ଲୋଷିତ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୨୭ ରେ ଲିଖିତ ଅନୁସାରେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଏହି ଅନୁଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟକର ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବାକର ପରିଚୟ ନମ୍ବର (ଜି ଏସ୍ ଟି ଆଇ ଏନ୍) ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଯୋଜିତ, ପୁଞ୍ଜିଲଗାଣ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ଉତ୍ପାଦ / କାରବାରର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟାବଳୀ (ଡାଟାବେସ୍)ରୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରୀୟ ଭାବେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ରପ୍ତାନୀକୁ କାରବାର (ଉତ୍ପାଦନ) ହିସାବରେ ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନାହିଁ ।
- ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏମ୍-୨ (ଉଦ୍ୟୋଗ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍) କିମ୍ବା ଇଉଏଏମ୍ (ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଧାର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍) ପଞ୍ଜିକରଣ ଅବା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଞ୍ଜିକରଣ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତା ୩୧.୩.୨୦୨୧ ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।



- କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏକରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ବିନିର୍ମାଣ (ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ) କିମ୍ବା ସେବା କିମ୍ବା ଉଭୟ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଯେତେପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରିବ ଅଥବା ଗୋଟିକରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ।

ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା

- ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ
- ତା ୦୧.୦୪.୨୦୨୧ ଠାରୁ ପ୍ୟାନ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ନମ୍ବର ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
- GSTIN ପଞ୍ଜିକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଛାଡ଼ ହେବା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର ଆଇନ, 2017 (12 ର 2017) ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ।

ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣର ଫାଇଦା

- ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ମୌଳିକ ପରିଚୟ ନମ୍ବର।
- ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ପଞ୍ଜିକରଣ “କାଗଜ-ଶୂନ୍ୟ” ଏବଂ ଆମ୍-ଘୋଷଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
- ପଞ୍ଜିକରଣ ନବୀକରଣର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
- ବିନିର୍ମାଣ (ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ) କିମ୍ବା ସେବା କିମ୍ବା ଉଭୟ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଥିବା ଯେତେସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିବ ସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିହେବ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଯୁକ୍ତ କରିହେବ।
- ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ ସହିତ, ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ନିଜକୁ ଜିଇଏମ୍ (ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟ୍ ମଞ୍ଚ- ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ‘ବ୍ୟବସାୟ’) ଏବଂ “ସମାଧାନ” ପୋର୍ଟାଲ (ଦେଶରେ ବିଲମ୍ବଜନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ବିଷୟକ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ) ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନେ ନିଜେ, ଡିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଞ୍ଚ ଯଥା-୧.ଡବଲ୍ୟୁ ଡବଲ୍ୟୁ ଡବଲ୍ୟୁ . ଇନଭଏସ୍ମାର୍ଟ.କମ୍ (www.invoicemart.com) ୨. ଡବଲ୍ୟୁ ଡବଲ୍ୟୁ ଡବଲ୍ୟୁ . ଏମ୍ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ.କମ୍ (www.m1xchange.com) ୩. ଡବଲ୍ୟୁ ଡବଲ୍ୟୁ ଡବଲ୍ୟୁ . ଆରଏକ୍ସିଲ.ଇନ୍ (www.rxil.in) ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ TReDS ମଞ୍ଚ (ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟସୂଚୀ-ଇନଭଏସ୍-ଏହି ମଞ୍ଚରେ କିଣାବିକା କରାଯାଏ) ରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ।
- ଉଦ୍ୟମ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଅଣ୍ଟା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା (ସ୍କିମ୍)ର ଫାଇଦା ଯଥା-ରଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା (କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍), ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ନୀତି (ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି), ସରକାରୀ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିକ ଅଗ୍ରାମତା, ବିଲମ୍ବିତ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା- ଏ ସବୁର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।
- ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ରଣ (ପ୍ରାୟରିଟି ସେକ୍ଟର ଲେଣ୍ଡିଂ) ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ।

ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ରଣ


ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (ସର୍କୁଲାର୍ ନଂ.) ଆର୍ବିଆଇ / ଏଫ୍ଆଇଡିଡି / ୨୦୨୦ / ୨୧/୭୨ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଫ୍ଆଇଡିଡି.ସିଓ.ପ୍ଲାନ.ବିସି.୫/୦୪.୦୯.୦୧/୨୦୨୦-୨୧ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୦୪, ୨୦୨୦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା (କ) କୃଷି (ଖ) ଅଣ୍ଟା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଗ) ରପ୍ତାନୀ ରଣ (ଘ) ଶିକ୍ଷା (ଚ)ଗୃହ (ଆବାସ) (ଛ)ସାମାଜିକ ଭିଡିଭୁମି (ଜ) ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି (ଝ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏଣୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଲ କ୍ଷେତ୍ର “ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ରଣ” ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ



ଅନୁସାରେ, ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇର ପରିଭାଷା, ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଗେଜେଟ୍ ଅଧିସୂଚନା ଏସ୍.ଓ.୨୧୧୯(ଇ) ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୨୭, ୨୦୨୦, ସହ ପଠିତ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଅବ୍ୟତନ କରାଯାଇଥିବା “ଅଣ୍ଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରବାହ” ଯଥାକ୍ରମେ-ପରିପତ୍ର ଆର୍ବିଆଇ/୨୦୨୦-୨୦୨୧/୧୦/ଏଫଆଇଡିଡି. ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସିସି.ନଂ.୩/୦୭.୦୭.୩୧/ ୨୦୨୦-୨୧, ସହ ପଠିତ ଏଫ୍‌ଆଇଡିଡି. ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସିସି.ନଂ.୪/୦୭.୦୭.୩୧/୨୦୨୦-୨୧ ଯଥାକ୍ରମେ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ୨,୨୦୨୦ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧, ୨୦୨୦ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ (ଅଣ୍ଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ) ମାନେ, ଶିଳ୍ପ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୧ ର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ (ସିଡିଉଲ୍) ରେ ଲିଖିତ ଶିଳ୍ପ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦନ / ତିଆରି କରିବାରେ କିମ୍ବା ଏହି ଅନୁସାରେ ସେବା କିମ୍ବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଉଚିତ୍ ।

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁରୂପ, ଅଣ୍ଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ)କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରକ୍ଷା, ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା ବର୍ଗରେ ବିଭାଗୀକୃତ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ।

-----00000-----




ਉੱਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ, ਅਸਾਧਾਰਣ, ਭਾਗ- II, ਸੈਕਸ਼ਨ -3, ਉਪ-ਧਾਰਾ (ii), ਦੀ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਐਮਐਸਐਮਈਦੀਨਵੀਂਪਰਿਭਾਸ਼ਾਅਤੇਕਾਰੋਬਾਰਕਰਨਵਿੱਚਅਸਾਨਤਾਦੇਅਨੁਕੂਲਹੋਣਲਈਇਹਪ੍ਰਣਾਲੀਐਮਐਸਐਮਈਨੂੰ ਸਥਾਈਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਯਾਨੀਉਦਮਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਲਈਸਹੂਲਤਦੇਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

- ਕੋਈਵੀਵਿਅਕਤੀਉੱਦਮਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲਈਪ੍ਰਾਪਤਕਰਸਕਦਾਹੈ।
ਇਹਪੋਰਟਲਦੁਆਰਾਰਜਿਸਟਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ, ਯਾਨੀਕਿ<https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm>
- ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਇੱਕ ਈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਰਥਾਤ, "ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲQR ਕੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨGSTIN) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਟਰਨਓਵਰ ਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈ.ਐੱਮ.- II ਜਾਂ ਯੂ.ਏ.ਐਮ. UAM ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੂੰ 31.03.2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮਇੱਕ ਉਦਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ:


- ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.
- 01.04.2021 ਤੋਂ ਪੈਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ:

- ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ.
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ.
- ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ.
- ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
- ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ GeM(Government e-Market place, a portal for G to B) ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ (SAMADHAAN) ਪੋਰਟਲ (ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
- ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਤਿੰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ i.e. 1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in ". ਆਪਣੇ ਆਪ TReDS Platform ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, (the invoices of receivables are traded on this platform)
- ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰਕਰਜ਼ਾ:




ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ **RBI/FIDD/2020-21/72** **Master** **Directions** **FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated September 04, 2020.** ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹਨ: (i) ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ii) ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (iii) ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (iv) ਸਿੱਖਿਆ (v) ਹਾ .ਸਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼) (vi) ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਾਂਚਾ(vii) ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਉਰਜਾ (viii) ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਸ.ਓ. 2119 (ਈ) ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ **FIDD.MSME & NFS. BC. No.4 / 06.02.31/2020-21** ਮਿਤੀ 2 ਜੁਲਾਈ, 2020, 21 ਅਗਸਤ, 2020, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ 'Credit flow to Micro, Small and Medium Enterprises Sector' ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਪਹਿਲੀ



ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

-----000-----




उद्यमपञ्जीकरणस्य लाभाः

भारतीयेन सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयेन भारतस्य राजपत्रस्य असाधारणभागः-११, खण्डः-२, उपखण्डः-(११), २६ जून २०२० दिनाङ्काङ्कितानुसारमेकः समीकृतो मानदण्डोऽधिसूचितो यस्मिन् सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमरूपेणोद्यमान् वर्गीकृतान् कर्तुं निवेशव्यापारौ मानदण्डरूपेणाङ्गीकृतौ १ जुलाई २०२० दिनाङ्कात् प्रभाविनौ स्तः।

सूक्ष्माणां लघूनां मध्यमानाञ्चोद्यमानां नूतनायाः परिभाषाया अनुपालनं कर्तुं व्यापारसुगमताया चोद्देश्येनेयं प्रणाली सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमेभ्यः स्थायिपञ्जीकरणस्य अर्थात् उद्यमपञ्जीकरणस्य प्रक्रियां सुगमयिष्यति।

मुख्या विशेषताः

- कश्चिदपि उद्यमाय उद्यमपञ्जीकरणं कर्तुं शक्नोति। इदं पञ्जीकरणं <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/ministry-msme-registration.htm> पटलमाध्यमेन कर्तुं शक्यते।
- उद्यमपञ्जीकरणस्य प्रक्रिया पूर्णतया यान्त्रिकीकृता कर्गदरहिता च वर्तते। कस्यचिदपि साक्ष्यस्यारोपस्यावश्यकता नास्ति।
- पञ्जीकरणस्य प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्कास्ति। तदर्थं केनचित् व्ययस्य शुल्कस्य वा प्रदानं नैव कर्तव्यम्।
- पञ्जीकरणस्य प्रक्रियायां पूर्णायाम् 'उद्यमपञ्जीकरणप्रमाणपत्र' नामकम् अन्तर्जालीयप्रमाणपत्रमन्तर्जालमाध्यमेन प्रदास्यते।
- अस्य प्रमाणपत्रस्यैकं प्रगतकूटं (डायनेमिक क्यूआर कोड) भवति। यस्य सहायतया अस्माकं पटले उपलब्ध तारङ्गपृष्ठस्य (वेब पेज) उद्यमस्य च विषये विद्यमानं विवरणं प्राप्तुं शक्यते।
- यः कश्चित् संज्ञाने उद्यमपञ्जीकरणे प्रदत्तानि स्वघोषिततथ्यानि सांख्यानि च असमीचीनतया प्रस्तौति अथवा तान् मर्दयितुं गोपयितुं वा प्रयतते अथवा अद्यतनप्रक्रियायामसम्यक् सूचनां प्रयच्छति सः अधिनियमस्य २७तमधारांनुसारं विनिर्दिष्टायाः शास्तेर्दायी भविष्यति।
- अन्तर्जालीयप्रणाली आयकरसेवाकरपरिचयसंख्याप्रणालीभिः (जीएसटीआईएन) सह पूर्णतया एकीकृतास्ति। उद्यमस्य निवेशव्यापारसम्बद्धविवरणानि राष्ट्रियविवरणावल्याः स्वचालितरूपेण लब्धुं शक्यन्ते। निर्यातो व्यापारस्य परिगणनभागरूपेण नैव विचार्यते।
- तादृशा उद्यमा येषां पार्श्वे ईएम-११ अथवा यूएम पञ्जीकरणम् अथवा सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयीयेन येन केनचित् प्राधिकारिणा निर्गमयितुं किञ्चिदन्यं पञ्जीकरणमस्ति तैः ३१/०३/२०२१ दिनाङ्कात् पूर्वं स्वस्य पञ्जीकरणं पुनः कर्तव्यम्।
- कश्चिदप्युद्यमः एकाधिकम् उद्यमपञ्जीकरणं नाङ्गीकरिष्यति। तथापि विनिर्माणेन सेवया एतदुभाभ्यां वा सम्बद्धानां केषाञ्चित् कार्यकलापानाम् एकस्मिन् पञ्जीकरणे विनिर्देशो योजनं वा कर्तुं शक्यते।



पञ्जीकरणायावश्यकम्


- आधारसंख्यैव केवला पञ्जीकरणाय पर्याप्तास्ति ।
- ०१/०४/२०२१दिनाङ्कात् पैससंख्याया जीएसटीसंख्यायाश्च सत्ता अनिवार्यास्ति।

अस्य पञ्जीकरणस्य लाभाः

- इदं स्थायि पञ्जीकरणं भविष्यति अथ चेदं कस्यचिदुद्यमस्याधारभूतः परिचयो भविष्यति।
- सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयीयपञ्जीकरणं कर्गदरहितं स्वघोषणाधारितञ्चास्ति।
- पञ्जीकरणस्य नवीनीकरणावश्यकता नास्ति काचित्।
- विनिर्माणेन सेवया एतदुभाभ्यां वा सम्बद्धानां केषाञ्चित् कार्यकलापानाम् एकस्मिन् पञ्जीकरणे विनिर्देशो योजनं वा कर्तुं शक्यते।
- उद्यमपञ्जीकरणेन सह उद्यमाः स्वं 'जेम'इत्याख्ये (प्राशासनिकान्तर्जालीयविपणीक्षेत्रम् , जी तः बी इत्यस्य कृते पटलम्) समाधानपटले च (प्रतिदानविलम्बतासम्बद्धविवादानां समाधानाय पटलम्) पञ्जीकृतं कर्तुं शक्नुवन्ति अथ चानेन सहैव सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालये उपलब्धेषु त्रिषु मञ्चेषु 1.www.invoicemart.com 2.www.m1exchange.com 3.www.rxil.in स्वं टीआरईडीएसमञ्चे (प्राप्यानां वस्तूनां 'इन्वाइस' इत्याख्यस्य अस्मिन् मञ्चे व्यापारः क्रियते) अपि सम्मिलितं कर्तुं शक्नुवन्ति ।
- उद्यमपञ्जीकरणम् सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयीययोजनानां क्रेडिटगारंटीस्कीम-सार्वजनिकखरीदनीतिसदृशानां लाभे , प्राशासनिकनिविदातिरिक्त-वर्द्धित-विलम्बितदेयानां प्रतिपक्षे सुरक्षा आदि लाभे च सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयस्य सहायतां कर्तुं शक्नोति।
- वित्तकोषीयप्राथमिकतावत्क्षेत्रम् ऋणाय पात्रीकरोति।

प्राथमिकताक्षेत्रीयऋणम्


भारतीयरिजर्वबैंकेन प्राथमिकताक्षेत्राय ऋणं (पी एस एल) दातुं निर्देशः कृतोऽस्ति। भारतीयरिजर्वबैंकेन स्वपरिपत्रसंख्या-आरबीआई/एफआईडीडी/२०२०-२१/७२मास्टरडायरेक्शन एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.५/०४.०९.०१/२०२०-२१ दिनाङ्क ०४ सितम्बर,२०२०द्वारा प्राथमिकतावत्क्षेत्रेभ्यः ऋणं दातुं दिशानिर्देशः प्रस्तुतो वर्तते। तदनुसारं प्राथमिकताक्षेत्रेषु श्रेण्यः सन्ति क) कृषिः ख) सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमाः ग) निर्यातश्रेयः घ) शिक्षा ङ) आवासीयम् च) सामाजिकावसंरचना छ) नवीकरणीया ऊर्जा ज) अन्यम् । अतः सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयक्षेत्रं प्राथमिकताक्षेत्रऋणे समागच्छति। भारतीयरिजर्वबैंकेनानुसारं सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयस्य परिभाषा 'सूक्ष्म-लघु-मध्यमोद्यमक्षेत्राय ऋणप्रवाहः' इत्यत्र भारतशासनस्य (जीओआई) राजपत्राधिसूचना एस.ओ.२११९(ई) दिनाङ्क २६ जून,२०२० या परिपत्र आरबीआई/२०२०-२०/१०एफआईडीडी.एमएसएमई. एवं एनएफएस.बीसी. सं.३/०६.०२.३१/२०२०-२१ इत्यनया सह पठ्येत या एफआईडीडी.एमएसएमई. एवं एनएफएस.बीसी. सं.४/०६.०२.३१/२०२०-२१ क्रमशः दिनाङ्क २जुलाई २०२०, २१ अगस्त, २०२० इत्यनया सह पठ्येत या समये समये अद्यतनीकृतास्ति। एतदतिरिक्तः एतादृशाएमएसएमई.- उद्योगस्य प्रथमायाम् अनुसूच्याम् (विकासः विनियमनञ्च) १९५१अधिनियमे निर्दिष्टे



यत्किञ्चिदुद्योगसम्बद्धवस्तुविनिर्माणे उत्पादने वा युक्तः स्यात् अथवा कस्याञ्चित् सेवायां सेवाप्रदाने वा संलग्नः स्यात् ।

सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यममन्त्रालयः सर्वेषु वित्तकोषीयत्रट्टणेषु, आरबीआईनिर्देशानुसारं प्राथमिकताक्षेत्रत्रट्टणे वर्गीकरणयोग्योऽस्ति।

-----0000-----




बिरित रेजिस्ट्रेशन रेनाः लाभ

भारत सरकाररूती,काटिच् आर तालानाः बिरित मंत्रालय दो भारत रेनाड राजपत्र,असाधारण,भाग-॥ खंड-3,उप-खंड(III),माहित् 26 जून, 2020 होतेते 'एनभेस्टमेंट आर टर्नओवर' बनार मिलाव काते रूती,काटिच् आर तालानाः बिरित्को लेकाते,बिरितको रेनाड हाटिञ लागित् ते मित् सम्मिलित मानदंड अधिसूचित् अकादाय,जाँहा 01 जुलाई,2020 खोन प्रभावी मेनाः आ।

एम.एस.एम.ई. रेनाड नावा लाभारी लेकाते आर बेपार लागित् आलगा लागित् ते,नोवा तंत्र एम.एस.एम.ई. दो मित् "स्थायी रेजिस्ट्रेशन" काथाय 'बिरित रेजिस्ट्रेशन' रेनाड सुबिधा एम आय।

आसोल गुनानको (मुख्य विशेषताएँ) -

- जाहाँन बिरित रेनाड गे "बिरित रेजिस्ट्रेशन" जाम दाड़ेयाः आय। नोवा दो पोर्टल तालाते काथाय'<https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryregMSME-registration.htm>' रे रेजिस्ट्रेशन दाड़ेयाः आय।
- बिरित रेजिस्ट्रेशन रेनाड प्रक्रिया दो पुरा "डिजिटल आर पेपरलेस" मेनाः आ। जाहाँन दस्तावेज कोदो अपलोड रेनाड जाहाँन लाकती दो बानूः आनाड।
- रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दो निःशुल्क गया। जाहाँय होड़गे जाहाँ रेनाड पुइसा से शुल्क दो बाड एम हुयूः आ। रेजिस्ट्रेशन रेनाड प्रक्रिया पूराव लेनखान ई-सिद साकाम काथाय "बिरित रेजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र" ऑनलाइन ते जारी आ।
- नोवा प्रमाण पत्र रेदो 'डायनेमिक क्यूआर कोड' मेनाः आ। जाहाँते आलेयाः पोर्टल रे "वेबपेज" आर बिरित बाबोत् ते बाडाय दाड़ेयाः आ।
- युदी,जाहाँय गे बाडाय काते बाड़िच बोयान ए एमा बाडखान आयच् ते लाय आकात् तेतेद आर बिरित रेजिस्ट्रेशन बाडखान अपडेशन प्रक्रिया रे पेरेच् लागित् आँकड़ाको उकू लागित् ते रिकाय खान,उनी दो अधिनियम रेनाड धारा 27 लेकाते ठावका आकान दंड रेन भागीदार ए हुयूः आ।
- "नोवा ऑनलाइन प्रणाली" आयकर,मालकर आर सेबाकर उनुरुम एलेख (GSTIN) प्रणाली साँव पुरा लेकाते मित् आकाना। बिरितको रेनाड निवेश आर कारबार रेनाड बिवरण दो सरकारी



डाटाबेस खोन आयच् ते चाला: लेकाते हातावो: काना। टर्नओवर लेखा रेनाड हिस्सा लेकाते भेजा (एकस्पार्ट) दो बाड हाता: आ।


- जाहाँय ठेन इएम-द्वितीय आर यूएम रेजिस्ट्रेशन आर बाडखान एमएसएमई मंत्रालय होतेते जारीयाकान रेजिस्ट्रेशन मेना:खान,ओना दो 31.03.2021 खोन माडाड निजेते आरहो नावाते रेजिस्ट्रेशन हुयू: आ।
- जाहाँन बिरित गे,मित् टाड खोन बाडती बिरित रेजिस्ट्रेशन रेगे,जाहाँन एलेख रेगे,विनिर्माण आर सेवा बाडखान बनार लेकान गतिविधियाँ निर्दिष्ट बाडखान जोड़ाव दाड़ेया: आ।

रेजिस्ट्रेशन रेनाड लाकती (पंजीकरण की आवश्यकता)

- रेजिस्ट्रेशन लागित् दो एकेन आधार संख्यातेगे हुयू: आ।
- माहित 01.04.2021 खोन पैन आर जीएसटी नंबर ताहेन लाकती मेना: आ।

रेजिस्ट्रेशन रेना: लाभ (पंजीकरण के लाभ) -

- मित् बिरित लागित् तेए मित् रिहित रेजिस्ट्रेशन आर बुनयादी उनुरुम संख्या ताँहेना।
- एमएसएमई रेजिस्ट्रेशन दो पेपरलेस गया आर स्व-घोषणा लेकाते मेना: आ।
- रेजिस्ट्रेशन दो नावाआरू रेनाड जाहाँन लाकती बानू: आनाड।
- मित् रेजिस्ट्रेशन रे विनिर्माण बाडखान सेवा बाडखान बनार लेकान गतिविधिको,जाँहा तिना: एलेख रे एम आकान साँव जोड़ाव दाड़ेया: आ।
- बिरित रेजिस्ट्रेशन साँव,बिरित निजेते जेम (GeM) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस,G खोनB लागित्,मित् पोर्टल) आर समाधान पोर्टल (एमो: रे देरी सोव जोपोड़ाव मुद्दा को कोराव लागित् मित् पोर्टल) रे रेजिस्ट्रेशन कोराव दाड़ेया: आ। आर नोवा साँव-साँवते एमएसएमई दो निजे ते ट्रेड्स TReDSप्लेटफॉर्म, (नोवा प्लेटफॉर्म रे,जाम आकान चालान रेनाड कारोबार हुयू: आ)रे हो लातार रे ओल आकान पेया प्लेटफॉर्म को ते जुड़ाव दाड़ेया: आ। काथाय-
1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.cin
- बिरित रेजिस्ट्रेशन एमएसएमई मंत्रालय रेनाड पानथा को जेलेका क्रेडिट गारंटी योजना,सार्वजनिक किरिज आरी,सरकार रे रेजिस्ट्रेशन रे एयहोप् आर देरी ते एम आकान रेनाड बिरोध रोखया एमाड रेनाड लाभ राकाप् लागित ते एम.एस.एम.ई. रे मोदोद एम दाड़ेया आ।




- बैंक कोरे खोन एतोहाप् रेनाड ऋण एम रेनाड योग्य बेनावेआ।

एतोहोप् क्षेत्र ऋणः (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण)

भारतीय रिजर्व बैंक होतेते एतोहोप क्षेत्र ऋण (PSL) रेनाड दिसा निर्देश जारी आकाना। आरबीआई दो एतोहोप् क्षेत्र रेनाड परिपत्र संख्या-RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan BC.5/04-09-01/2020-21माहित 04 सितम्बर,2020 रेनाड तालाते दिसा निर्देश ते जारी आकादा। ओनकालेकाते,एतोहोप् क्षेत्र रेदो मेनाः आ-(I) चासा, (II) रूती,कटिच आर तालानाः बिरित (III) भेजायेत् ऋण (IV) सेचेत्, (V) तौहैन, (VI) साँवतारियारीबेनाव, (VII) नवीकणीय ऊर्जा,(VIII) एमानाः। ओना लागित्ते,एम.एस.एम.ई. सेक्टर एतोहोप क्षेत्र ऋण रे हिजूः आ। आरबीआई लेकाते,एमएसएमई रेनाड लायारी,दो भारत सरकार (GOI) रेनाड गजट अधिसूचना एस.ओ. 2119(ई) माहित- 26 जून, 2020 रेनाड परिपत्र RBI/2020-21/19 FIDD.MSME&NFS.BC.No.3/06.02.31/2020-21आर बाडखान RBI/2020-21/10 FIDD.MSME&NFS.BC.No. 4/06.02.31/2020-21,लेताड माहित-2 जुलाई,2020,21 अगस्त, 2020 साँवते पाइहाःमा। जाहाँ रूती,कटिच आर तालानाः बिरित टोठा को दो 'क्रेडिट प्रवाह' साँव जोपोड़ाव मेनाः आ। आर समय-समय रेजेलएदाय।नोवाछाड़ाकाते,नोडकान एमएसएमई दो जाहाँन तारिका ते माल रेनाड बेनाव आर आरजाव रे मेसा लाकती मेनाः आ। बिरित को लागित एतोहोप् अनुसूची रे निर्दिस्ट जाहाँन बिरितगे (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 बाडखान जाहाँन सेवा आर सेवाको एम लागित् ते लागाव आकानाय।

एम.एस.एम.ई. रेनाड सानाम बैंक ऋण,आरबीआई दिसा निर्देश को लेकाते,एतोहोप क्षेत्र ऋण (PSL) रे हाटिन्न रेनाड योग्य मेनाः आ।

-----000-----




آدم رجسٽريشن ونڻ جو لاپ

ڀارت سرڪار، مائڪرو، ننڍي يا وچولي واپار جي ادارن تي منتراليه ويڊيوگرافي جي ڀارت جي راج پٽر، غير معمولي، پاڳي II، سيڪشن 3، سب سيڪشن 26 جون، 2020 (II) ۾ سيڙپ ۽ ٽرن اوور ٻنهي سان جڙيل هڪ گڏيل معيار کي تسليم ڪيو ويو جنهن ۾ سيڙپڪاري ۽ واپار ٻنهي جي معيار جي طور تي شامل آهي. مائڪرو، ننڍي يا وچولي واپار جي ادارن لاءِ ادارن کي درجي بندي ڪرڻ سان اثر انداز ٿي رهيا آهن. 1 جولاءِ، 2020 کان.

منجهس ايم ايس ايم ٽيءَ جي نئين تعريف ۽ سسٽم کي آسان بڻائڻ جو نظام مستقل رجسٽريشن لاءِ ايم ايس ايم ٽيءَ کي سهوليت ڏيندو، يعني 'آدم رجسٽريشن'.

خاصيتون :-

- ڪوبه ماڻهو انٽرنشنل جي لاءِ آڊائيگي جي رجسٽريشن حاصل ڪري سگهي ٿو. اهو رجسٽري ٿي سگهي ٿو. پورٽل ذريعي يعني
<https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm>
- شهري رجسٽريشن جو عمل مڪمل طور تي بڻجڻ ٿي ويو آهي ۽ پير کان سواءِ هتي ڪونهي ڪا دستاويز آپ لوڊ ڪرڻ جي ضرورت آهي.
- رجسٽريشن جو عمل مڪمل طور تي مفت آهي. ڪوبه خرچ يا فيس ڪنهن کي آڏا ڪرڻ نه آهي.
- هڪ اي سرٽيفڪيٽ 'آدم رجسٽريشن سرٽيفڪيٽ' آن لائين جاري ڪيو ويندو. رجسٽريشن جو عمل مڪمل طرح سان ڪرڻو آهي.
- هن سرٽيفڪيٽ جو هڪ ڊائناميڪ QR ڪوڊ ٿيندو آهي. جنهن سان آسان پورٽل تي ويب پيج ۽ آدم جي باري ۾ جانڪاري حاصل ڪري سگهجي ٿي.
- جيڪڏهن ڪوئي ڄاڻي ٻجهي ڪري غلط بيان ڏيندو آهي يا غلط بيان ڪيل حقيقتن کي دٻائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ۽ انگن اکرن جي رجسٽريشن يا تازا ڪرڻ واري عمل ۾ ظاهر ٿيڻ جا ذميوار هوندا اهڙي سزا جيئن ائڪٽ جي سيڪشن 27 جي تحت مخصوص ڪئي ويئي آهي.
- گڏس آن لائين سسٽم مڪمل طور تي انڪم ٽئڪس ۽ سامان سروس ٽئڪس سان گڏ ٿيل آهي. سڃاڻپ جو نمبر (GSTIN) سسٽم سيڙپڪاري بابت تفصيل ۽ واپار جو ڪاروباري پائمرادو معلومات جي بنيادن کان ورتو وڃي ٿو. برآمدات نه آهن. حساب ڪتاب جي حساب سان پاو ورتو ويو. EM جنهن وٽ EM-II يا UAM رجسٽريشن يا ڪنهن ٻئي دوران جاري ڪيل رجسٽريشن آهي MSME وزارت جي هيٺ، اڳ ۾ پاڻ کي ٻيهر رجسٽري ڪرائڻو پوندو 31/03/2021 کان.
- ڪوبه ادارو هڪ کان وڌيڪ آميدوارن جي رجسٽريشن جو انداز نه ڪندو. تنهن هوندي نمبر



جون سرگرميون جنهن ۾ پيداوار يا سهوليت شامل آهن يا ٻئي هڪ ۾ مخصوص يا شامل ٿي سگهن ٿيون۔

رجسٽريشن۔

رجسٽريشن جي لاءِ ضرورت :


- رجسٽريشن جي لاءِ صرف آڌار نمبر ئي ڪافي آهي۔
- 01-04-2021 سان پين ۽ جي ايس ٿي۔ نمبر هئڻ ضروري آهي۔

هن رجسٽريشن جا فائدا :

- اهو هڪ مستقل رجسٽريشن ۽ بنيادي سڃاڻپ جو نمبر انٽرنيشنل جي لاءِ هوندو۔
- MSME رجسٽريشن پيپر ٿيل آهي ۽ خود اعلان تي ٻڌل آهي۔
- رجسٽريشن جي تجديد جي ضرورت نه هوندي۔
- ٺاهڻ يا خدمت سميت سرگرميون جا ڪجهه تعداد يا خاص ٿي سگهن ٿيون يا هڪ رجسٽريشن ۾ شامل ڪيو ويو۔
- آڌائينگي جي رجسٽريشن سان گڏ، ادارا پنهنجو رجسٽر ڪرائي سگهن ٿا۔ جي بي (گورنمينٽ اي مارڪيٽ واري جاءِ جي کان بي تائين بندرگاهه) ۽ سماڌان پورٽل (آڌائينگي دير بابت مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ پورٽل) ۽ گڏوگڏ۔ MSMEs خود TReDS پلٽفارم تي پڻ وڃي سگهن ٿيون۔ (وصولين جا انوائس هن پلٽفارم تي واپار ڪيا ويا آهن) ٽن دستياب پلٽفارمن ذريعي۔
1. www.invoicemart.com 2. www.mlxchange.com 3. www.rxil.in
- آڌائينگي جو رجسٽريشن پڻ MSMEs جي مدد ڪري سگهي ٿو اسڪيمن جو فائدو وٺڻ ۾ MSMEs وزارت جي جهڙوڪ ڪريڊٽ گارنٽي اسڪيم 'عوامي خريداري جي پاليسي' گورنمينٽ ٽينڊرز ۾ دير جي آڌائينگي ڪرڻ سبب واڌ واري واڌ۔
- بئنڪن کي لائقيءَ واري ڪيترن کي قرض ڏيڻ جي قابليت بڻائيندو آهي۔

اڳرائيءَ وارن ڪيترن کي قرض ڏيڻ :

پرايرٽي سيڪٽر لينڊنگ (پي ايس ايل) جون هدايتون رزرو بئنڪ آف انڊيا طرفان جاري ڪيون ويون آهن۔ آر بي آءِ اڳرائيءَ وارن ڪيترن تي هدايتون جاري ڪري چڪو آهي۔ 21/72 ماسٽر هدايتون 2020-21/04.09.01/2020-21 FIDD.CO.Plan.BC 5/04.09.01/2020-21 تاريخ 04 سيپٽمبر 2020 (i) زراعت (ii) مائڪرو، ننڍو ۽ وچولي ادارن (iii) ايڪسپورٽ ڪريڊٽ (iv) تعليم (v) هائوسنگ (vi) سوشل انفراسٽرڪچر (vii) قابل تجديد توانائي (viii) ٻيا۔ انڪري MSME اڳرائيءَ وارن ڪيترن ۾ ايندو آهي قرض ڏيڻ۔ آر بي آءِ جي مطابق MSMEs جي تعريف ڀارت سرڪار (GOI) جي مطابق هوندي، گزٽ جي نوٽيفڪيشن 2119(E)S.O تاريخ 26 جون 2020 سرڪيولر آر بي آءِ - 10-2020-2021 سان پڙهيو FIDD.MSME ۽ NFC.BC نمبر 21-2020/06.02.31/3 FIDD.MSME ۽ NFC سان پڙهيو۔ ق۔ نمبر 2020-21/06.02.31/4 تاريخ 2 جولاءِ 2020، آگسٽ 2020-21 ننڍي ۽ وچولي ادارن شعبا ۽ وقت به وقت اپڊيٽ۔ وڌيڪ اهڙي MSMEs ڪنهن به طريقي سان سامان جي پيداوار ۾ مصروف هجو۔



ڪابه صنعت انڊسٽريز ڪي فرسٽ شيڊول ۾ بيان ڪيو ويو آهي (ترقي ۽ ضابطي) قانون، 1951 يا ڪنهن خدمت يا خدمتن جي فراهمي يا فراهم ڪرڻ ۽ مصروف آر بي سي جي هدايتن جي مطابق ايم ايس ايم ايز ڪان سپ بئنڪ قرضدار جي بندي لاءِ قابليت رکن ٿا. ترجيحي شعبي جي قرض هيٺ.

-----000-----



உத்யம் / நிறுவனங்கள் பதிவு செய்வதன் நன்மைகள்

இந்திய அரசு, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம், இந்திய அரசிதழ் அறிவிப்பு, அசாதாரண, பகுதி -2, பிரிவு -3, துணைப்பிரிவு (ii), 2020 ஜூன் 26 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இதன் மூலம் முதலீடு மற்றும் விற்பனை வருவாய் இரண்டையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டு அளவுகோலை அறிவித்தது. 2020 ஜூலை 1 ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் என வகைப்படுத்துவதற்கான அளவுகோலாக அமைந்தது.

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை புதிய வரையறைக்குள் வகைப்படுத்துவதற்கும், வணிகத்தை எளிதாக்குவதற்கும் இந்த அமைப்பு MSME களை நிரந்தர பதிவுசெய்வதற்கு உத்யம் பதிவு உதவும்.

முக்கிய அம்சங்கள்:

- நிறுவனத்திற்கான உத்யம் / நிறுவனங்கள் பதிவை யார் வேண்டுமானாலும் பெறலாம். இதை வலைதளம் மூலம் பதிவு செய்யலாம், இதற்கான வலைதளம் <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryMSME-registration.htm> ஆகும்
- இந்த உத்யம் / நிறுவனங்கள் பதிவு செய்வதற்கான செயல்முறை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டு மற்றும் காசிதமற்றது. எந்த ஆவணத்தையும் பதிவேற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை.
- பதிவு செய்தல் முற்றிலும் இலவசம். கட்டணங்கள் அல்லது செலவுகள் யாருக்கும் செலுத்தப்படக்கூடாது.
- இந்த ஒரு இ- சான்றிதழ் அதாவது உத்யம் / நிறுவனங்கள் பதிவு சான்றிதழ், பதிவு செய்த உடனேயே பெறலாம்.
- இந்த சான்றிதழில் டைனமிக் கியூஆர் குறியீடு உள்ளது, அதில் இருந்து எங்கள் வலைதளத்தில் உள்ள வலைப்பக்கம் மற்றும் நிறுவனத்தைப் பற்றிய விவரங்களை பெறமுடியும்.
- உத்யம் / நிறுவனங்கள் பதிவு அல்லது புதுப்பித்தல் செயல்பாட்டில் தோன்றும் சுய-அறிவிக்கப்பட்ட உண்மைகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்களை வேண்டுமென்றே தவறாக சித்தரிக்கும் அல்லது



அடக்க முயற்சிக்கும் எவரும் சட்டத்தின் பிரிவு 27 ன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அபராதத்திற்கு பொறுப்பாவார்.

- இந்த ஆன்லைன் முறை, வருமான வரி (PAN) எண் மற்றும் கூடுதலாக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அடையாள எண் (ஜிஎஸ்டிஎன்) அமைப்புகளுடன் முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலீடு மற்றும் நிறுவனங்களின் வருவாய் குறித்த விவரங்கள் அரசாங்க தரவு தளங்களிலிருந்து தானாக எடுக்கப்படுகின்றன. ஏற்றுமதி விற்பனை வருவாய் கணக்கீட்டின் ஒரு பகுதியாக எடுக்கப்படவில்லை.
- MSME அமைச்சின் கீழ் EM-II அல்லது UAM பதிவு அல்லது வேறு எந்த பதிவும் பெற்றவர்கள் 31.03.2021 க்குள் முன்னர் தங்களை மீண்டும் இந்த உத்யம் பதிவுவை செய்ய வேண்டும்.
- எந்தவொரு நிறுவனமும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உத்யம் பதிவுகளை செய்யக்கூடாது, இருப்பினும் உற்பத்தி அல்லது சேவை அல்லது இரண்டும் உள்ளிட்ட எந்தவொரு நடவடிக்கைகளும் ஒரு பதிவில் குறிப்பிடப்படலாம் அல்லது சேர்க்கப்படலாம்.

பதிவு செய்வதற்கு தேவையான விவரங்கள்:

- பதிவு செய்ய ஆதார் எண் மட்டுமே போதுமானது.
- 01.04.2021 முதல் பான் (PAN) மற்றும் ஜிஎஸ்டி எண்ணை வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும்.

இந்த பதிவின் நன்மைகள்

- இது ஒரு நிறுவனத்திற்கான நிரந்தர பதிவு மற்றும் அடிப்படை அடையாள எண்ணாக இருக்கும்.
- இந்த உத்யம் / நிறுவனங்கள் பதிவு காகிதமற்றது மற்றும் சுய அறிவிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
- பதிவு புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
- உற்பத்தி அல்லது சேவை அல்லது இரண்டும் உள்ளிட்ட எந்தவொரு நடவடிக்கைகளும் ஒரு பதிவில் குறிப்பிடப்படலாம் அல்லது சேர்க்கப்படலாம். உத்யம் பதிவுடன், நிறுவனங்கள் தங்களை ஜீஎம் (Gem) (அரசு மின் சந்தை இடம், ஜி முதல் பி வரையிலான ஒரு வலைதளம்) மற்றும் சமாதான் (samadhaan) வலைதளம் (தாமதமாகும் வருவாய் தொடர்பான சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் ஒரு வலைதளம்) மற்றும் ஒரே நேரத்தில் MSMEகளும் டி.ஆர்.டி.எஸ். (TReDS) இயங்குதளம், (பெறத்தக்கவைகளின் விலைப்பட்டியல் ரசிது இந்த மேடையில்



வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது). இதை மூன்று தளங்கள் வழியாக கிடைக்க அதாவது 1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in பெறலாம்.

- கடன் உத்தரவாதத் திட்டம், பொது கொள்முதல் கொள்கை, அரசாங்க டெண்டர்களில் கூடுதல் விளிம்பு மற்றும் தாமதமாகும் வருவாய்க்கு எதிரான பாதுகாப்பு போன்ற எம்எஸ்எம்இ அமைச்சகத்தின் திட்டங்களின் நன்மைகளைப் பெற உத்யம் பதிவு உதவக்கூடும்.
- வங்கிகளிடமிருந்து முன்னுரிமைத் துறை கடன் வழங்க தகுதியுடையவர் ஆவர்.

முன்னுரிமை துறை கடன்:

முன்னுரிமை துறை கடன் (பி.எஸ்.எல்) வழிகாட்டுதல்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் வழங்கப்படுகின்றன. முன்னுரிமை துறை கடன் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது, அதன் சுற்றறிக்கையில் ரிசர்வ் வங்கி / எஃப்ஐடிடி / 2020- 21/72 முதன்மை திசைகள் எஃப்ஐடிடி.கோ.பிலான்.பிசி 5 / 04.09.01 / 2020-21 செப்டம்பர் 04, 2020 தேதியிட்டது. அதன்படி, முன்னுரிமைத் துறையின் கீழ் உள்ள பிரிவுகள் (i) விவசாயம் (ii) குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (iii) ஏற்றுமதி கடன் (iv) கல்வி (v) வீட்டுவசதி (vi) சமூக உள்கட்டமைப்பு (vii) புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி (viii) மற்றவை. எனவே, எம்.எஸ்.எம்.இ துறைக்கு முன்னுரிமை துறை கடன் வழங்கலின் கீழ் வருகிறது. ரிசர்வ் வங்கியின் கூற்றுப்படி, எம்.எஸ்.எம்.இ.க்களின் வரையறை இந்திய அரசு (GoI), அரசிதழ் அறிவிப்பு S.O. ஜூன் 26, 2020 தேதியிட்ட 2119 (இ) உடன் சுற்றறிக்கை RBI / 2020-2021 / 10 FIDD.MSME & NFS.BC.No.3 / 06.02.31 / 2020-21 உடன் FIDD.MSME & NFS.BC.No. 4 / 06.02.31 / 2020-21 தேதியிட்ட கி.மு. ஜூலை 2, 2020, ஆகஸ்ட் 21, 2020 உடன் சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்ட குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் ஓட்டம் மற்றும் அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்படுகிறது. மேலும், அத்தகைய எம்.எஸ்.எம்.இ.க்கள் 1951 ஆம் ஆண்டு தொழில்கள் (அபிவிருத்தி மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தின் முதல் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தவொரு தொழிற்துறையுடனும் அல்லது எந்தவொரு சேவை அல்லது சேவைகளையும் வழங்குவதில் அல்லது வழங்குவதில் ஈடுபட வேண்டும்.



ரிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க எம்.எஸ்.எம்.இ
க்களுக்கான அனைத்து வங்கிக் கடன்களும் முன்னுரிமைத் துறை
கடன்களின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுவதற்கு தகுதி பெறுகின்றன.

-----000-----



ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ వలన కలిగే ప్రయోజనాలు

భారత ప్రభుత్వం , సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరగతి పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ భాగం -II, విభాగం - 3 , ఉప విభాగం (ii) ప్రకారం ఆయా సంస్థలను సూక్ష్మ , చిన్న మరియు మధ్య తరహా సంస్థలుగా విభజించడానికి గాను వాటి పెట్టుబడి మరియు వార్షిక టర్నోవర్ రెండింటిని సంయుక్త గుర్తింపుగా తేదీ 01.07.2020 నుండి పరిగణించాలని 26-06-2020 తేదీన నోటిఫై చేసారు.

ఈ క్రొత్త నిర్వచనం అమలుకు మరియు వ్యాపారం సులభతరం చేయడానికి గాను ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. లన్నియు ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనబడే శాశ్వత రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

ముఖ్యాంశాలు :

- వారి వారి సంస్థల కోసం, ఎవరైనా ఈ ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పొంద వచ్చును. దీని కోసం [http://udyamregistration.gov.in/ Government-India/Ministry-MSME-registration.htm](http://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm) అనే వెబ్ సైట్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకొనవచ్చును.
- ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా కాగిత రహితముగా డిజిటైజ్ చేయబడింది. ఎలాంటి పత్రాలు అప్ లోడ్ చెయ్యనవ సరం లేదు.
- రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా ఉచితం. ఎవరికీ ఎటువంటి సొమ్ములు చెల్లించనవసరం లేదు.
- రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తైన తరువాత ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ పేరు తో e-సర్టిఫికేట్ జారీ చేయబడుతుంది.
- ఆ సర్టిఫికేట్ పైన ఒక స్పష్టమైన క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది . దాని సాయంతో మా వెబ్ సైట్ ద్వారా ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వివరాలను పొంద వచ్చును .
- ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో గాని , అప్ డేట్ చేసినప్పుడు గాని ఎవరైనా ఉద్దేశ పూర్వకముగా తప్పుడు వివరాలు ఇచ్చినా, స్వయం నిర్ధారిత విషయాలలో లేదా అంకెలలో తప్పులున్నా ఈ చట్టం , సెక్షన్ 27 ప్రకారము పెనాల్టీ విధించబడుతుంది .
- ఈ ఆన్లైన్ వ్యవస్థ ఇన్ కం టాక్స్ , GSTIN (గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్) వెబ్ సైట్లతో పూర్తిగా అనుసంధానింపబడి ఉంది. ఆయా సంస్థలకు సంబంధించిన పెట్టుబడుల మరియు వార్షిక టర్నోవర్ల వివరాలు ప్రభుత్వ డేటాబేస్ నుండి వాటంతట అవే తీసుకోవడతాయి. వార్షిక టర్నోవర్ లెక్కింపులో ఎగుమతులను పరిగణించ రు.



- ఇదివరకే ఇ.ఎం-11 లేదా యువయమ్ రిజిస్ట్రేషన్ లేదా ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. మంత్రిత్వ శాఖకు లోబడి ఇతర విభాగ అధికారులు జారీ చేసిన ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వారందరూ 31 -03 -2021 లోపల ఇక్కడ రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవలసి ఉంది .


- ఏ సంస్థ కైనా ఒకటికి మించి ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చెయ్యకూడదు. అయితే ఆ సంస్థకు సంబంధించి ఉన్న అన్ని కార్యకలాపాలను అంటే ఉత్పత్తి లేదా సేవా లేదా రెండింటినీ కలిపి ఒకే రిజిస్ట్రేషన్లో చూపించవచ్చును .

రిజిస్ట్రేషన్ కు అర్హతలు :

- రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కేవలం ఆధార్ నెంబర్ సరిపోతుంది.
- తేదీ. 01-04-2021 తర్వాత పాన్ మరియు జి. ఎస్. టీన్ లను తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి.

రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :

- ప్రతి పరిశ్రమ కు ఇది శాశ్వత గుర్తింపు మరియు మౌలిక గుర్తింపు సంఖ్య.
- ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. రిజిస్ట్రేషన్ కేవలం కాగిత రహితమే కాదు, స్వయం ప్రకటితం కూడా.
- ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కు మళ్ళీ పునరుద్ధరణ అవసరం లేదు .
- సంస్థ చేసే అన్ని కార్యకలాపాలైనా ఉత్పత్తి మరియు సేవారంగం లేదా రెండింటినీ కలిపి ఒకే రిజిస్ట్రేషన్ లో పొందుపర్చవచ్చును.
- ఈ ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్లతో పాటు, సంస్థలు తమను తాము జెమ్(గవర్నమెంట్ ఐ- మార్కెట్ ప్లేస్) మరియు సమాధాన్ (ఆలస్యపు చెల్లింపుల పరిష్కరణకు ఉద్దేశించిన పోర్టల్) వెబ్ సైట్లలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చును . దానితో పాటు ట్రెడ్స్ (TReDS) వేదికను కూడా పంచుకొనవచ్చును. దీనికి గాను 1 .www.invoicemart.com; 2 .m1xchange.com; 3 .www.rxil.in వెబ్సైట్లను ఉపయోగించవచ్చును.
- క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీం , పబ్లిక్ ప్రొక్యూరెంట్ పాలసీ , ప్రభుత్వ టెండర్లలో అదనపు సౌలభ్యం , ఆలస్యపు చెల్లింపుల నుంచి రక్షణ వంటి పలురకాల ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. మంత్రిత్వ శాఖ పథ కాలను అందు కోవడానికి ఈ ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉపయోగపడవచ్చును.
- బ్యాంకుల నుండి ప్రాధాన్యత విభాగపు రుణాలు పొందడానికి అర్హత పొందుతారు.




ప్రాధాన్యతా రంగాలకు ఋణ సౌకర్యం :

సర్కులర్ నెంబర్: RBI/FIDD/2020-21/72 మాస్టర్ డైరెక్షన్స్ :FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 తేదీ. సెప్టెంబర్ 04,2020 ద్వారా ప్రాధాన్యతా విభాగాల కొరకు రుణాల మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారము (i) వ్యవసాయం, (ii) సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్య తరహా ప్రరిశ్రమలు, (iii) ఎగుమతి రంగాలు, (iv) విద్య, (v) గృహాలు, (vi) సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు, (vii) పునరుత్పాదక శక్తి (రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ), (viii) ఇతర రంగాలు అనే విభాగాలపై రుణాలను ప్రాధాన్యత జాబితాలో చేర్చారు. దీని వల్ల ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. రంగ పరిశ్రమలు ప్రాధాన్యతా విభాగపు రుణాల జాబితాలో కి వచ్చాయి. భారత ప్రభుత్వ గజిట్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ : S.O.2119(E) తేదీ. 26-06-2020; సర్కులర్ నెంబర్ : RBI/2020-2021/10FIDD.MSME& NFS.BC.No. 3/06.02.31/2020-21 తేదీ. 02-07-2020, తేదీ. 21-08-2020 (కలిపి చదువు కోవలయును) ప్రకారము విడుదల చేసిన ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. ల నిర్వచనాలను పరిగణన లోనికి తీసుకొని సులభ రీతిలో ప్రాధాన్యతా రంగాలకు గాను రుణాల మంజూరీ మరియు ఈ విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సౌకర్యాలను వినియోగించుకోవడానికి ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. లు ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, 1951 ను అనుసరించి ఏవిధంగా నైనా సరకులు ఉత్పత్తి చేయడములో గాని లేదా సేవారంగంలోనైనా నిమగ్నమై ఉండి ఉండాలి.

రిజర్వ్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనల మేరకు ఎం. ఎస్. ఎం. ఇ. లకు అన్ని బ్యాంకులు అందించే రుణాలు ప్రాధాన్యతా విభాగపు రుణాల నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి.

-----00000-----



تجارتی رجسٹریشن کے فوائد

بھارت کے مائیکرو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کی وزارت نے بھارت کے گزٹ غیر معمولی حصہ دوم باب ۳ ضمنی باب (ii) بتاریخ ۲۶ جون ۲۰۲۰ کے تحت ایک مجموعی معیار جاری کیا ہے۔ جس میں بھارت کے مائیکرو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کی وزارت نے تجارت کی شکل میں تجارتوں کو تقسیم کرنے کے لئے سرمایہ کاری اور کاروباری دونوں کو معیاری شکل میں شامل کیا گیا ہے۔ جو ۱ جولائی ۲۰۲۰ء سے مؤثر ہے۔

بھارت کے مائیکرو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کی وزارت میں تجارتوں کی جدید تعریف کو نافذ کرنے اور تجارت کرنے کی آسانی کے مقصد سے یہ نظام بھارت کے مائیکرو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کی وزارت میں تجارتوں کے لئے مستقل رجسٹریشن یعنی تجارت رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنائے گا۔

اہم خصوصیات

• کوئی بھی تجارت کے لئے تجارت رجسٹریشن حاصل کر سکتا ہے۔

<https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registraion.htm>

پورٹل کے ذریعہ رجسٹریشن کیا جاسکتا ہے۔

تجارت رجسٹریشن کا عمل مکمل طور پر ڈیجیٹل اور غیر کاغذی ہے۔ کسی بھی دستاویز کو اپلوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

رجسٹریشن کا عمل پوری طرح مفت ہے۔ اس کے لئے کسی کو کوئی لاگت یا فیس نہیں بھرنی ہے۔

رجسٹریشن کے عمل کی تکمیل کے بعد تجارت رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نام کا ای سرٹیفکیٹ آن لائن جاری کیا جائے گا۔

اس سرٹیفکیٹ کا ایک ڈائنامک QR کوڈ ہوتا ہے۔ جس کی مدد سے ہمارے پورٹل پر موجود ویب پیج نیز تجارت کے بارے میں موجود

اطلاعت حاصل کی جاسکتی ہیں۔

جو کوئی جان بوجھ کر تجارت رجسٹریشن میں خود اعلانیہ اطلاعات کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے یا انہیں دبانے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے

یا اپلوڈ کے عمل میں غلط اطلاعات دیتا ہے وہ آرڈیننس کے سیکشن کے تحت کارروائی کا ذمہ دار ہوگا۔

آن لائن نظام انکم ٹیکس اور سروس ٹیکس شناختی نمبر (جی ایس ٹی آئی این) نظاموں کے ساتھ مکمل طور پر یکجائی ہے۔ تجارتوں میں سرمایہ

کاری اور ان کے کاروبار سے متعلق تفصیل سرکاری ڈیٹا بیس سے خود کار طور پر حاصل کئے جاتے ہیں۔ ایکسپورٹ کو کاروبار میں شمولیت کے حصے کے

طور پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔

ایسی تجارتیں جن کے پاس ای۔ ایم۔ اے۔ اے۔ ایم۔ رجسٹریشن یا ایم۔ ایس۔ ایم۔ ای (MSME) وزارت کے تحت کسی بھی

افسر کے ذریعہ جاری کیا گیا کوئی دوسرا رجسٹریشن ہے۔ انہیں بتاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ء سے قبل خود کو دوبارہ رجسٹر کرنا ہوگا۔

کوئی بھی تجارت ایک سے زیادہ تجارتی رجسٹریشن دائر نہیں کر سکتا۔ اگرچہ تجدید کاری یا سروس یا دونوں سے متعلق کسی بھی عمل کو ایک

اور رجسٹریشن میں مربوط کیا جاسکتا ہے۔



